

विषय सूची

इस अंक में...



निर्माण सिविल सर्विसेज मासिक पत्रिका

अप्रैल, 2019 (अंक: 9)

मुख्य संपादक :

कमलदेव सिंह

संपादक :

रजनीश कुमार

इमित्याज खान

सहयोगी :

मनीष प्रियदर्शी, तरुनेन्द्र कुँवर, सुब्रत पाण्डेय,
शिल्पा देवी एवं सनी वर्मा

ग्राफिक्स एंड डिजाइन :

संतोष कुमार झा, पंकज तिवारी, सुनील कुमार
संतोष झा एवं प्रियंका

© प्रकाशक

HEAD OFFICE

996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi
Vihar Bandh) Delhi-110009

ENQUIRY OFFICE

631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar,
Delhi-09

Website: www.nirmanias.com

E-mail: nirmanias07@gmail.com

Ph.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797

प्रश्नपत्र - (1)

वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक	1
वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018	2
'बाल विवाह-2019 फैटशीट'	3
चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति में परिवर्तन	4
जापान में दिखेगी मधुबनी पैटिंग की झलक	5
डिजिटल अंधेरे में डूबा द्वीपीय देश टोंगा	7
'भारत को जाने' कार्यक्रम	9
बर्ड सर्वे	9
सबरीमाला मंदिर	9
वर्ष 2018 चौथा सबसे गर्म वर्ष	10
मेगा सिल्क इवेंट	10
स्मार्ट सिटी रैकिंग	11
नदी से जोड़कर झीलों का संरक्षण	14
स्वच्छ शक्ति 2019	16
50 सालों में खत्म हो जाएंगे बंगाल टाइगर : शोध	16
टिहरी झील में विलुप्त हुई मछलियों की दस प्रजातियां	16
विनाश का संकेत है कीटों की घटती संख्या	17
कक्षाओं के अनुसार स्कूली बैग का बजन	17
स्वतंत्र दर्शन योजना	18
सियोल शांति पुरस्कार	18

प्रश्नपत्र - (2)

भारत और मलेशिया के मध्य समझौता	21
भारत, नारीविद्या तथा पनामा के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच समझौता	22
भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ई-प्रशासन हेतु समझौता	23
बांग्लादेश के 1800 क्लेक्टर, कमिशनर स्तर के अधिकारी लेंगे भारत में ट्रेनिंग	25
भारत और चीन के बीच संतुलित व्यापार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर	25
ट्रॉप-किम के बीच दूसरी वार्ता	26
अमेरिका द्वारा भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये कार्यक्रम	26
एनीमिया की जांच मोबाइल एप से	27
आम चुनाव में 100 फीसदी वीबीपीएटी का प्रयोग	28
भारत और इंडोनेशिया के मध्य समझौता	28
सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन	29
द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल, 2018	30
भारत और फिनलैंड के बीच समझौता सम्पन्न	30
अल्पसंख्यक की परिभाषा जल्द तय हो : सर्वोच्च न्यायालय	31
प्रथम भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता	32

वेनेजुएला से तेल न खरीदे कोई देश : अमेरिका	34
अमेरिका-चीन ट्रेड वार से भारत को लाभ	34
दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती	35
भारत और ब्राजील के मध्य चिकित्सा समझौता	36
अब खदानों में महिलाएं भी करेंगी काम	36
भारत और यूक्रेन के मध्य समझौता	37
सिंधु का चीन की कंपनी से 50 करोड़ रुपए का समझौता	37
एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019	38
अब्रेला कार्यक्रम	38
पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर: भारत	39
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	40
ई-वीजा व्यवस्था	40
दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास स्कीम	41
भारत और अर्जेंटीना के मध्य समझौता	42
अमेरिका में आपातकाल घोषित	42
कैबिनेट ने पीआरएसए (पीसा) में भारत के प्रस्तावित भागीदारी के समझौते को मंजूरी	43
मुस्लिम महिला के प्रख्यापन (विवाह के अधिकार का संरक्षण), द्वितीय अध्यादेश	43
भारत और मोरक्को के मध्य समझौता	43
मर्टिमेंटल ने कोरिया और भारत के बीच समझौते को मंजूरी दी	44
एंटी रिपिंग वोटिंग मशीन	44
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना दिवस	45
चौथा भारत-असियान एक्स्पो समिट 2019	47
राष्ट्रपति ने तीन तलाक समेत चार अध्यादेशों को मंजूरी	47
भारत-पाकिस्तान व एफएटीएफ	48
दिल्ली सरकार बनाम उप-राज्यपाल	50

प्रश्नपत्र - (3)

अंतरिम बजट 2019-20 सरकार का आय व्यय	51
डिजिटल फार्मिंग	56
इंडिगेन ओशन रिम एसोसियेशन की बैठक	57
ई-कॉर्मस FDI के नए नियम लागू	61
GPS के बिना चलने वाला 'पहला' रोबोट	62
ई-कॉर्चर से कीमती धातुएं निकालने की ईको-फ्रैंडली विधि	63
नीति आयोग व एमएसडीएफ के मध्य समझौता	64
हरियाली के मामले में भारत-चीन अग्रिम पंक्ति में : नासा	65
बदलता समुद्री रंग : WEF रिपोर्ट	65
कंपनी अध्यादेश (दूसरा संशोधन), 2019	66
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019	67
रूफटॉप सोलर कार्यक्रम	68
लैंड पूलिंग वेब पोर्टल	69

लड़ाकू विमान राफेल	70
मिग-21 और मिराज 2000	71
जीसैट-31	72
किसानों की आमदनी, खर्च और कर्ज का सर्वे	73
6 स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी	73
भारतीय रिजर्व बैंक RBI	74
नई कैंसर थेरेपी	75
टी बैंग में पिन के प्रयोग पर 30 जून से प्रतिबंध	75
45 वर्षों में भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी	76
भारत दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता	76
भारत एवं मालदीव के बीच कृषि समझौते	77
भारत और फिनलैंड के बीच समझौता	77
कृषि-बाजार अवसंरचना के निर्माण को अनुमति	78
गैर प्रदूषित उद्योगों को स्वतः: मिलेगी पर्यावरण अनुमति	78
कृत्रिम पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड का इंधन में पारिवर्तन	79
प्रसारण बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकास योजना को मंजूरी	79
तहरीक-उल-मुजाहिदीन पर प्रतिबंध	80
अब ड्राइन स्प्रेयर से भी कर सकेंगे कीटनाशक का छिड़काव	80
भारत-अफ्रीका रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर संवाद	81
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	81
जीईएम और सीसीआई के बीच सहमति	81
दुर्घटना से बचाएगी लेजर लाइट	82
बायोमेट्रिक आधारित सफर: दिल्ली मेट्रो	82
बायरल वैक्सीन निर्माण की नई इकाई की स्थापना	82
शिपिंग क्षेत्र में वृद्धि	83
2030 तक कुल वाहनों का 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन	84
भारतीय अर्थव्यवस्था और शिमला कानून	84
स्कूलों में 'मिड-डे-मील' के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में संशोधन	85
उत्तर भारत के किसानों के लिए केरल की योजना	86
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना	86
कोयला खानों का आवंटन	86
डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग का दूसरा संस्करण जारी	87
रेलवे में पेट्रीएम व गूगल-पे से भरना होगा जुर्माना	88
डीओडीओ मॉडल	88
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	89
सौर गढबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश बना सऊदी अरब	89
आरबीआई ने सरकार को अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की	90
नमामि गंगे कार्यक्रम का विस्तार	90
कैंसर की नई दवा	91
भारत में मीथेनॉल और डीएमई अर्थव्यवस्था	91
गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी	96

वैशिक तापमान वृद्धि को कम करने का लक्ष्य	101	पटना रिवर फ्रंट	124
समसामयिक मुद्दों से संबंधित लेख			
आसमान में खुली झोन की खिड़की	104	एक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन	125
भूमि अधिग्रहण : कार्यक्रम व क्रियान्वयन	106	सऊदी अरब ने किया पाकिस्तान में 20 बिलियन डॉलर का निवेश समझौता	125
देश के विकास के लिए इनोवेशन जरूरी	108	अर्जेंटीना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल	126
रेडियो का वैशिक परिदृश्य	110	71 फीसदी क्षेत्र पर मूदा प्रदूषण की मार	126
बाँस से बायोएनर्जी	112	विकसित अर्थव्यवस्था होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी	126
प्रारम्भिक परीक्षा विशेष : 2019			
सौर फोटोवॉलिटिक विद्युत परियोजना	114	कुपोषण की रोकथाम में बड़ी बाधा है, चरम मौसमी घटनाएं	127
बीपीआरएंडडी का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन	114	कोस्टारिका अक्षय ऊर्जा के उपयोग में अच्छा	127
प्रधानमंत्री किसान योजना : हर किसान को नहीं मिलेगा धन	115	सर्जिकल उपकरणों से अल्जाइमर रोग	127
वैशिक पर्यावरण सुविधा और यूएनडीपी के लघु अनुदान कार्यक्रम पर कार्यशाला	115	आधा अफ्रीका मंहगी ऊर्जा पर निर्भर	128
गाष्ट्रीय कृषि मुक्त अभियान	116	कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट	128
'इंडिया नेटवर्किंग'	117	मायापुर में स्थापित होगा विश्व धरोहर केन्द्र	128
लाइट हाउस परियोजना	117	ऑस्ट्रेलिया में आई सदी की सबसे भयानक बाढ़	128
मिसाइल 'हेलीना' का परीक्षण	118	156 गैर-सरकारी संगठनों का पंजीकरण छह महीने के लिए निलंबित	128
बस्त्र क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उचित सामंजस्य, सुनिश्चित करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित	118	सरकार का छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में नये समुदायों को शामिल करने का निर्णय	129
पेट्रोटेक-2019	119	पोप फ्रांसिस का संयुक्त अरब अमीरात दौरा	129
तीसरा भारत-जर्मन पर्यावरण सम्मेलन	119	सुल्तान अहमद शाह बने मलेशिया के नए राजा	130
अल्जीरिया राष्ट्रपति की भारत यात्रा	119	स्वस्थ बच्चे-स्वस्थ भारत	130
विश्व कैंसर दिवस	120	ई-आौषधि पोर्टल की शुरूआत	130
पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन बदे भारत एक्सप्रेस	121	संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार	131
गज़ों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन	122	69वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय योरेलियन का उद्घाटन	131
शहरी समृद्धि उत्सव	122	61वें ग्रैमी पुरस्कार	132
आयकर रिटर्न हेतु पैनकार्ड वैध: सर्वोच्च न्यायालय	123	टैगोर पुरस्कार	133
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों के लिए मोबाइल एप्प शुरू	123	मीराबाई चानू ने जीता स्वर्ण पदक	133
		पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दार्थ	134

प्रश्नपत्र

वैशिक बौद्धिक संपदा सूचकांक

चर्चा में क्यों?

- ➲ भारत लगातार दूसरे साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक में ऊपर आने में कामयाब रहा है।
- ➲ आईपी सूचकांक के हाल के संस्करण में 50 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने 36वां स्थान हासिल किया है। यह 2018 में हासिल 44वें स्थान से 8 स्थान ऊपर है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- ➲ अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉर्मस के वैशिक नवोन्मेष नीति केंद्र (जीआईपीसी) की ओर से जारी सातवें सालाना अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक भारत को 45 में से कुल 16.22 अंक मिले, जबकि छठे संस्करण में 40में से 12.03 अंक मिले थे।
- ➲ 'इंसपायरिंग टुमर्सो' नाम से जारी हाल की रिपोर्ट में 45 सूचकांकों के आधार पर नवोन्मेष की प्रमुखता वाली विश्व की 50 अर्थव्यवस्थाओं का अंकलन किया गया है।
- ➲ जीआईपीसी ने एक बयान में कहा कि भारत के नीति निर्माताओं की ओर से किए गए प्रमुख सुधारों का असर भारत के सुधरे प्रदर्शन पर नजर आता है, जो घरेलू कारोबारियों व विदेशी निवेशकों के नवोन्मेष (innovation) के क्षेत्र में टिकाऊ वातावरण के लिए किए गए हैं।
- ➲ जीआईपीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पैट्रिक किलब्राइड ने कहा, 'भारत के सूचकांक में प्रदर्शन के आकलन में भारत की ओर से आईपी के लिए बेहतर माहौल के लिए हुए सुधारों से पता चलता है, जो 2016 की राष्ट्रीय आईपी नीति के माध्यम से लागू किया गया है।'
- ➲ भारत के प्रदर्शन में सुधार कुछ अहम सुधारों जैसे डब्ल्यूआईपीओ इंटरनेट संधियों आदि से आया है, जो छोटे कारोबार से संबंधित है।
- ➲ इसके अलावा पेटेंट के बैकलॉग को साफ करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। इन सब कदमों की वजह से आरएंडडी आधारित उद्योगों में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ी है।

बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है?

- आई.पी.आर. किसी व्यक्ति विशेष के नवीन उत्पाद के कलात्मक बौद्धिकता, विचार एवं सिद्धांत से संबंधित है।
- वह किसी व्यक्ति को उसकी कलात्मकता अथवा उत्पादकता का उपयोग करने या न करने का स्वामित्व प्रदान करता है।
- पेटेंट, कॉर्पोरेइट, ट्रेडमार्क एवं ट्रेड सिक्रेट्स आदि किसी व्यक्ति के वास्तविक कार्य को सुरक्षा प्रदान करने के विभिन्न कानूनी तरीके हैं। जो कि सामूहिक रूप से बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।

पृष्ठभूमि :

- ➲ सर्वप्रथम बौद्धिक सम्पदा को पांचवीं सदी बी.सी. में ग्रीस में किताब को खरीदने अथवा बेचने अर्थात् व्यवसाय करने के लिए उपयोग में लाया गया था।
- ➲ इसके उपरांत पन्द्रहवीं शताब्दी में इंग्लैंड तथा यूरोप में ज्ञान तथा विचार आदि को सम्पदा का अधिकार प्रदान करने का सिद्धांत आया था।
- ➲ प्रिंटिंग प्रेस के अविष्कार ने सभी कार्यों की प्रतिलिपि को बनाना आसान कर दिया।
- ➲ तब से किसी व्यक्ति विशेष के कलात्मक, उत्पादकता एवं अविष्कार को सुरक्षित करने के लिए एक अधिकार/कानून की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो कि वर्तमान में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के रूप में जानी जाती है।

भारतीय संदर्भ

- ➲ बौद्धिक सम्पदा का अधिकार चाहे वह पेटेंट से संबंधित हो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या औद्योगिक सभी के द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकार के संरक्षण में वर्ष 1999 से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु ट्रिप्प में शामिल हुआ।
- ➲ पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 1999 में संशोधन विषयन का पेटेंट 5 वर्ष है।
- ➲ भौगोलिक संकेत के सामान पंजीयन और संरक्षण विधेयक 1999 को मंजूरी दी गई।
- ➲ औद्योगिक डिजाइन विधेयक 1999 की जगह डिजाइन, पेटेंट संशोधन विधेयक 1999-पेटेंट अधिनियम 1970
- ➲ उपरोक्त वैधानिक परिवर्तन कर भारत सरकार ने मौलिक सम्पदा के अधिकार को और सुदृढ़ बनाया है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ लागू करने वाइपो/यू.एन.डी.पी. परियोजना को लागू करने हेतु तथा आधुनिकीकरण हेतु पेटेंट कार्यालय में 756 लाख की लागत से विकास किया गया है।

बौद्धिक सम्पदा के अधिकार

- डिजाइन कानून : सामान्य रूप से डिजाइन का अर्थ किसी प्लान अथवा सृजनात्मक कला से है परन्तु कानूनी भाषा में इसका अर्थ भिन्न होता है जो कि पंजीकृत डिजाइन अथवा डिजाइन के अधिकार से संबंधित होता है।
- पंजीकृत डिजाइन : का अर्थ किसी उत्पाद का पूर्ण रूपेण अथवा दिखाइ देने वाले निम्न भाग अथवा प्रकार अथवा विशेषताओं को एकाकी अधिकार प्रदान करता है। इसके अधीन रेखाएं, कन्दूर, रंग, आकार, टेक्चर, सामग्री आदि शामिल है। पंजीकृत डिजाइन में अधिकार प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए एवं प्रत्येक वर्ष बाद रिनुअल अधिकतम 25 सालों तक किया जाता है।
- डिजाइन अधिकार : यह एक बौद्धिक सम्पदा का अधिकार है। जो किसी उत्पाद के वास्तविक, असामान्य स्थल आकार, मापदण्डों की डिजाइन पर लागू होता है। डिजाइन अधिकार कोई एकाकी अधिकार नहीं है। बल्कि यह प्रतिलिपीकरण को रोकने का अधिकार है जो कि विषयन उत्पादों की डिजाइन को दस साल अथवा अधिकतम 15 साल के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।

विश्वास भंग करने का कानून

- ➲ यह किसी राज्य एवं उसके प्रशासन के व्यक्तिगत व्यापार अथवा औद्योगिक मसलों के विभिन्न प्रकार के गोपनीय तथ्यों से संबंधित कानून है। जो कि गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए अधिकार प्रदान कराता है।

- ➲ ट्रेडमार्क : ट्रेडमार्क एक विशेष चिन्ह है जो कि शब्द, लोगो, रंग, स्लोगन, आकार, आवाज आकृति द्वारा भाव प्रदर्शन हो सकते हैं। प्राथमिक तौर पर यह सामग्री के स्रोत अथवा सेवा को इंगित/प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यह किसी सामग्री अथवा सेवा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने हेतु भी उपयोग में लाए जाते हैं।
- ➲ अधिकतर ट्रेडमार्क शब्दों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। जो कि प्रत्येक उत्पाद एवं सेवा के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसे-आई.एस.ओ., आई.एस.आई.ए एफ.पी.ओ. इत्यादि।
- ➲ पेटेंट : बौद्धिक सम्पदा का अधिकार मस्तिष्क द्वारा उपजी अनमोल कृति जो चिंतन, अध्यात्म, खोज, अनुसंधान से नये अविष्कार, ज्ञान, शोध की खोज को सुरक्षा एवं स्वामित्व प्रदान करता है।
- ➲ अतः पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता को सरकार द्वारा उसके द्वारा खोजी गई खोज, अविष्कार को एक निश्चित अवधि तक पुरस्कार स्वरूप उसके उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।
- ➲ अतः पेटेंट सरकार द्वारा अनुसंधानकर्ता, अविष्कारक को उसके अविष्कार खोज को उपयोग करने, लाभ उठाने हेतु एक निश्चित समयावधि हेतु प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है ताकि उसे उसकी मेहनत का पुरस्कार स्वरूप लाभ मिल सके यदि कोई व्यक्ति पेटेंट का उल्लंघन करते हैं अथवा अवैधानिक रूप से पेटेंट की गई खोज का उपयोग करता है। तो उसे न्यायालय के माध्यम से उसे रुकवा सकता है। अथवा दण्डित करवा सकता है।
- ➲ सामान्यतः यह धारणा है कि पेटेंट तकनीकी को आगे बढ़ाता है तथा आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान कराता है किन्तु कुछ लोगों का मानना है कि यह तकनीकी प्रगति में बाधक है।
- ➲ अतः दोनों दृष्टिकोण से पेटेंट यह संतुलन बनाता है कि अविष्कार, खोज के बेहतर इस्तेमाल का उपयोग कर देश में आर्थिक, सामाजिक प्रगति संभव हो तथा यह बाधा न बने।

वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018

चर्चा में क्यों?

- ➲ ग्लोबल वॉचडॉग ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के वार्षिक सूचकांक में भारत 78वें नंबर पर है। उसने तीन अंकों का सुधार किया है।
- ➲ वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, 2018 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल ने लंदन में जारी 2018 भ्रष्टाचार

- सूचकांक में दुनियाभर के 180 देशों को शामिल किया है।
- इस सूचकांक में चीन 87वें और पाकिस्तान 117वें स्थान पर हैं। 2017 में भारत को 40 अंक प्राप्त हुए थे जो 2018 में 41 हो गए।
- इस सूची में 88 और 87 अंक के साथ डेनमार्क और न्यूजीलैंड क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे।
- वहाँ सोमालिया, सीरिया एवं दक्षिण सूडान क्रमशः 10,13 और 13 अंकों के साथ सबसे निचले पायदानों पर रहे।



ट्रान्सपेरेंसी इंटरनेशनल

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्था है जो भ्रष्टाचार के निवारण आदि पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है।
- यह संस्था हर वर्ष एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन होता है।
- ट्रान्सपेरेंसी इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है।

'बाल विवाह-2019 फैक्टशीट'

मुद्दा क्या है?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (UNICEF) ने एक रिपोर्ट, 'फैक्टशीट चाइल्ड मैरिज 2019' जारी की है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत के कई क्षेत्रों में अब भी बाल विवाह हो रहा है।
- इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है लेकिन बिहार, बंगाल और राजस्थान में यह प्रथा अब भी जारी है।

भारतीय संदर्भ में

- यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार, बंगाल और राजस्थान में बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों और अनुपूर्चित जातियों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका शिक्षा की दर में सुधार, किशोरियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा किये गए

निवेश व कल्याणकारी कार्यक्रम और इस कुप्रथा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रभावी सदेश देने जैसे कदमों के चलते बाल विवाह की दर में कमी देखने को मिली है।

- रिपोर्ट के अनुसार 2005-2006 में जहाँ 47 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी, वहाँ 2015-2016 में यह आँकड़ा 27 फीसदी था।
- यूनिसेफ के अनुसार, अन्य सभी राज्यों में बाल विवाह की दर में गिरावट लाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है किंतु कुछ जिलों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है।



वैश्विक संदर्भ में

- मौजूदा समय में विश्व भर में लगभग 65 करोड़ ऐसी लड़कियाँ/महिलाएँ हैं जिनकी शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी गई है, जबकि बचपन में लड़कियों की शादी कर दिये जाने के मामले में यह संख्या प्रतिवर्ष करीब 1.2 करोड़ है।
- दक्षिण एशिया में बाल विवाह की दर 40 प्रतिशत (वैश्विक दर की) है, जबकि उप-सहारा अफ्रीका में बाल विवाह की दर 18 प्रतिशत (वैश्विक दर की) है।
- लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में बाल विवाह की स्थिति में बदलाव नहीं आया है।
- पिछले एक दशक में बाल विवाह की दर में 15 प्रतिशत की कमी आई है जिसके तहत लगभग 2.5 करोड़ बाल विवाह होने से रोके गए हैं।

बाल विवाह के कारण

- यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी, लड़कियों की शिक्षा का निम्न स्तर, लड़कियों को आर्थिक बोझ समझना, सामाजिक प्रथाएँ एवं परंपराएँ बाल विवाह के प्रमुख कारण हैं।
- भारत में बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन् 1949, 1978

- और 2006 में इसमें संशोधन किये गए।
3. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के नए कानून के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की जेल और एक लाख रुपए का आर्थिक दद्द निर्धारित किया है।

चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

- ⌚ धरती का भौगोलिक नॉर्थ पोल तो फिक्स है लेकिन धरती पर दिशा दिखाने वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल (चुंबकीय उत्तरी ध्रुव) अपनी स्थिति बदल रहा है।
- ⌚ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का डायरेक्शन उत्तर ध्रुव (कनार्ड आर्कटिक) से सालाना 55 किलोमीटर की दर से साइबेरिया की तरफ खिसक रहा है।
- ⌚ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के जरिए कंपास पर दिशा दिखाता है। इस बदलाव की वजह से जलमार्ग के जरिए यातायात में परेशानी हो रही है।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ⌚ पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पिछले कुछ दशकों में इतनी तेजी से खिसक रहा है कि वैज्ञानिकों के पूर्व में लगाए गए अनुमान अब जलमार्ग के लिए सही नहीं बैठ रहे।
- ⌚ 4 फरवरी को वैज्ञानिकों ने एक अपडेट जारी किया कि टू नॉर्थ असल में कहाँ था। यह अपडेट तय समय से करीब एक साल पहले जारी किया गया है।
- ⌚ इसके मुताबिक, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हर साल करीब 55


किलोमीटर खिसक रहा है।

- ⌚ इसने 2017 में इंटरनेशनल डेट लाइन (आईडीएल) को पार कर लिया था और यह साइबेरिया की तरफ बढ़ते हुए फिलहाल कनार्ड आर्कटिक से आगे बढ़ रहा है।
- ⌚ कोलोराडो यूनिवर्सिटी के भू-भौतिकीविद और नए वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल के प्रमुख शोधकर्ता अर्नोड चुलियट ने बताया कि, लगातार बदल रहे इसके स्थान की वजह से स्मार्टफोन और उपभोक्ता के इस्टेमाल वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपासेज में समस्या आ रही है।
- ⌚ विमान एवं नौकाएं भी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर निर्भर रहती हैं खासकर शिपिंग में अतिरिक्त मदद के लिए। जीपीएस इसलिए प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि वह उपग्रह आधारित है।
- ⌚ सेना नौवोहन और पैराशूट उतारने के लिए इस बात पर निर्भर रहती है कि चुंबकीय उत्तर ध्रुव कहाँ है जबकि नासा, संघीय विमानन, प्रशासन एवं अमेरिकी वन सेवा भी इसका इस्टेमाल करती है।
- ⌚ हवाई अडडे के रनवे के नाम भी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की तरफ उनकी दिशा पर आधारित होते हैं और ध्रुवों के घूमने पर उनके नाम भी बदल जाते हैं।
- ⌚ मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के भू-भौतिकीविद डेनियल लेश्रोप ने बताया कि इसका कारण पृथ्वी के बाहरी कोर में हलचल है।
- ⌚ ग्रह के कोर में लोहे और निकल का गर्म तरल महासागर है जहाँ हलचल से विद्युतीय क्षेत्र पैदा होता है। वहाँ चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव उत्तर के मुकाबले बहुत धीमी गति से खिसक रहा है।
- ⌚ उत्तरी ध्रुव हमारे ग्रह पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिन्दु है। यह वह बिन्दु है जहाँ पर पृथ्वी की धूरी घूमती है।
- ⌚ यह आर्कटिक महासागर में पड़ता है और यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है क्योंकि लगभग छः महीने यहाँ सूरज नहीं निकलता है। ध्रुव के आसपास का महासागर बहुत ठंडा है और सदैव बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है।
- ⌚ इस भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट ही चुम्बकीय उत्तरी ध्रुव है, इसी चुम्बकीय उत्तरी ध्रुव की ओर ही कम्पास की सुई संकेत करती है।
- ⌚ उत्तरी तारा या ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के आकाश पर सदैव निकलता है। सदियों से नाविक इसी तारे को देखकर ये अनुमान लगाते रहे हैं कि वे उत्तर में कितनी दूर हैं। यह क्षेत्र आर्कटिक घेरा भी कहलाता है क्योंकि वहाँ अर्धरात्रि के सूर्य (मिडनाइट सन) और ध्रुवीय रात (पोलर नाइट) का दृश्य भी देखने को मिलता है।
- ⌚ उत्तरी ध्रुव क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ बर्फ से ढंके विशाल क्षेत्र के अतिरिक्त आर्कटिक सागर भी

है। यह सागर अन्य कई देशों जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की जमीनों से लगा हुआ है। इसे अंध महासागर का उत्तरी छोर भी कहा जा सकता है।

दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र

- ⇒ दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। इसे अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है।
- ⇒ तथ्यानुसार दो मुख्य दक्षिणी ध्रुव हैं, एक स्थिर और दूसरा जो धूमता है।
- ⇒ चुम्बकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वहाँ होते हैं जहाँ पर कम्पास संकेत करता है। ये ध्रुव वर्ष प्रतिवर्ष धूमते रहते हैं। केवल कम्पास को देखकर ही लोग यह बता सकते हैं कि वे इन ध्रुवों के निकट हैं। दक्षिणी ध्रुव से सारी दिशाएँ उत्तर में होती हैं, पर ध्रुवों के बिल्कुल निकट कम्पास भरोसेमंद नहीं है।



- ⇒ भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव हैं जिनपर पृथ्वी धूमती है, वहाँ जिन्हें लोग एक ग्लोब पर देखते हैं जहाँ पर सारी उत्तर/दक्षिण की रेखाएँ मिलती हैं।
- ⇒ ये ध्रुव एक ही स्थान पर रहते हैं और यहीं वे ध्रुव होते हैं जब हम केवल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। लोग कुछ विशेष तारों को देखकर ये बता सकते हैं कि वे इन ध्रुवों पर हैं।
- ⇒ ध्रुवों पर एक तारा समान ऊँचाई पर चक्कर लगाता है और क्षितिज पर कभी भी अस्त नहीं होता।
- ⇒ दक्षिणी ध्रुव पर पड़ने वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। यह बहुत ही ठंडा स्थान है।
- ⇒ सर्दियों के दौरान कई सप्ताहों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। और गर्मियों के दौरान, दिसंबर के अंत से मार्च के अंत तक सूर्यास्त नहीं होता।

- ⇒ स्वयं ध्रुवीय बिन्दु पर भी छः महीने की सर्दियाँ होती हैं और इतने समय तक सूर्योदय नहीं होता। और जब सूर्योदय होता है तो, यह छः महीनों की लंबी गर्मियाँ आरंभ होती हैं और कोई व्यक्ति दिन के किसी भी समय खड़े होकर सूरज को क्षितिज के ऊपर घड़ी की उल्टी दिशा में अपने चारों ओर धूमते हुए देख सकता है।
- ⇒ दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचना कठिन है। उत्तरी ध्रुव के विपरीत, जो कि समुद्र और समतल समुद्री बर्फ से ढका होता है, दक्षिणी ध्रुव एक पर्वतीय महाद्वीप पर स्थित है।
- ⇒ यह महाद्वीप है अंटार्कटिका। यह बर्फ की मोटी चादर से ढका है और अपने केंद्र पर तो 1.5 किमी से भी मोटी बर्फ से।
- ⇒ दक्षिणी ध्रुव बहुत ऊँचे स्थान पर है और बहुत वातमय (तूफानी)। यह उन स्थानों से बहुत दूर है जहाँ पर वैज्ञानिकों की बस्तियाँ हैं और यहाँ जाने वाले जहाजों को प्रायः बर्फले समुद्री रास्ते से होकर जाना पड़ता है।
- ⇒ तट पर पहुँचने के बाद भी भूमार्ग से यात्रा करने वाले खोजियों को ध्रुव तक पहुँचने के लिए 1,600 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा करनी पड़ती है।
- ⇒ उन्हें तैरते हिमखंडों को पार करके बर्फ से ढकी भूमि और फिर सीधे खड़े पर्वतीय हिमनदों को जो टूटी, मुड़ी हुई समुद्र में गिरती बर्फ से ढके होते हैं और तेज जमाने वाली बर्फीली हवाओं वाले पठार को भी पार करना होता है।

जापान में दिखेगी मधुबनी पेंटिंग की झलक

चर्चा में क्यों?

- ⇒ विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है।
- ⇒ देश-विदेश में जाने वाली मिथिला पेंटिंग के साथ किया गया अनूठा प्रयोग अब देश की सीमा से निकलकर विदेशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है।
- ⇒ हाल में ही समस्तीपुर मंडल पहली बार बिहार सम्पर्क क्रान्ति की पूरी बोगियों को मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित करके पूरे देश में वाहवाही बटोरी थी।



2

प्रश्नपत्र-

भारत और मलेशिया के मध्य समझौता

चर्चा में क्यों?

- ➲ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मलेशिया के बीच कंपनी सचिव के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी।
- ➲ इसका उद्देश्य दोनों देशों के कंपनी सचिवों के अभ्यास और सम्मान के स्तर को बढ़ाना तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कंपनी सचिवों के आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान करना है।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ भारत कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और मलेशियन एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (एमएसीएस) के बीच समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के कंपनी सचिवों के अभ्यास और सम्मान के स्तर को बढ़ाना तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कंपनी सचिवों के आवागमन की सुविधा प्रदान करना है।
- ➲ भारत कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) संसद द्वारा पारित अधिनियम, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 56, 1980) के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- ➲ इसका उद्देश्य भारत में कंपनी सचिव के पेशे को विकसित करना और इसका नियमन करना है।
- ➲ मलेशियन एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (एमएसीएस) कंपनी सचिवों का एक निकाय है, जिसका उद्देश्य मलेशिया में कंपनी सचिवों की प्रतिष्ठा और कार्य कुशलता को बेहतर बनाना है।

भारत-मलेशिया संबंध

- ➲ भारत एवं मलेशिया के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा दोनों देशों के मध्य नियमित रूप से शिखर बैठकों का आयोजन होता है।
- ➲ मलाया परिसंघ (मलेशिया का पूर्ववर्ती राज्य) के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी।
- ➲ वर्तमान में आसियान में मलेशिया, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- ➲ नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार जनवरी-सितंबर, 2016 की अवधि के दौरान 8.71 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया।

समझौते :

- ➲ 1 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य प्रतिनिधिमंडलीय वार्ता संपन्न हुई जिसमें वायु सेवा समझौते तथा दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की शैक्षिक योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने संबंधी समझौते सहित 7 समझौतों/समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते के प्रमुख आयाम

- | |
|---|
| • वायु सेवा क्षेत्र में समझौता। |
| • मलेशिया में यूरिया एवं अमोनिया विनिर्माण संयंत्र के प्रस्तावित विकास में सहयोग तथा मलेशिया से भारत को अधिशेष यूरिया के अपक्रम पर समझौता-ज्ञापन। |
| • खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन। |
| • प्रशिक्षण में सहयोग हेतु 'मलेशियाई मानव संसाधन कोष' (HRDF) तथा EDII, अहमदाबाद के मध्य समझौता-ज्ञापन। |
| • शैक्षिक योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने पर भारत के एआईयू (AIU : Association of Indian Universities) तथा मलेशिया की एमक्यूए (MQA : Malaysian Qualifications Agency) के मध्य समझौता-ज्ञापन। |
| • पाम ऑयल के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास में सहयोग हेतु 'मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड' (MPOB) और भारत के 'केमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान' (Institute of Chemical Technology) के मध्य समझौता-ज्ञापन। |

- आंध्र प्रदेश में चौथी पीढ़ी के प्रौद्योगिकी पार्क के कार्यान्वयन पर 'माइट टेक्नोलॉजी' (MIGHT Technology) मलेशिया तथा आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के मध्य समझौता-ज्ञापन।

उच्चस्तरीय यात्राएं

- मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रजाक ने जनवरी, 2010 में और फिर आसियान-भारत संस्मारक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 20-21 दिसंबर, 2012 को भारत का दौरा किया था।
- इसके अतिरिक्त मलेशिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर, 2015 में मलेशिया की राजकीय यात्रा संपन्न की थी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रजाक ने 30 मार्च-4 अप्रैल, 2017 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की।
- वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद श्री नजीब की यह तीसरी भारत यात्रा थी।
- भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नजीब ने नई दिल्ली के अतिरिक्त चेन्नई एवं जयपुर का भी दौरा किया।

निष्कर्ष :

- मलेशियाई प्रधानमंत्री की यह भारत यात्रा ऐसे समय पर संपन्न हुई है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
- शैक्षिक डिग्रियों को पारस्परिक मान्यता देने संबंधी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना, इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही जिससे दोनों देशों के छात्रों को लाभ होगा।
- मलेशिया के यूटीएआर विश्वविद्यालय (UTAR University) ने मलेशिया में पहली बार आयुर्वेद में डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है, साथ ही इसी विश्वविद्यालय में एक आयुर्वेद चेयर (Ayurveda Chair) की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है।
- 1 अप्रैल, 2017 से मलेशिया ने अपने 'निःशुल्क वीजा कार्यक्रम' का विस्तार कर इसमें भारतीय नागरिकों को भी शामिल कर लिया है, साथ ही 48 घंटों के अंदर ऑनलाइन वीजा आवेदनों को मंजूरी देने तथा एक बार वीजा मिलने पर कई बार मलेशिया की यात्रा करने की सुविधा देने जैसे निर्णयों से मलेशिया की यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि होगी।

भारत, नामीबिया तथा पनामा के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच समझौता

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 6 फरवरी को भारत और इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के साथ अपने समझौता ज्ञापन के बारे में ये प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग को अग्रेषित किये हैं।

ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के बीच चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- इस समझौता ज्ञापन में ऐसे मानक अनुच्छेद/धाराएं शामिल हैं, जो मोटे तौर पर चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, जिनमें चुनाव प्रक्रिया के संगठनात्मक और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी तथा अनुभव का आदान-प्रदान करना, सूचना का आदान-प्रदान करना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना और क्षमता निर्माण करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, नियमित विचार-विमर्श आदि को बढ़ावा देना शामिल है।

पृष्ठभूमि

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> निर्वाचन आयोग कुछ देशों और एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के माध्यम से दुनिया भर में चुनाव से संबंधित मामलों और निर्वाचन प्रक्रियाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता आया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो दुनिया में सबसे बड़े चुनावों का आयोजन करता है। निर्वाचन आयोग का यह उत्तरदायित्व है कि वह विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 85 करोड़ मतदाताओं देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करे। उत्कृष्टता हासिल करने की जहोजहद में निर्वाचन आयोग चुनाव और उससे जुड़े मामलों के संबंध में द्विपक्षीय संबंध कायम करने हेतु विदेशी चुनाव निकायों की ओर से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त करता रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के साथ अपने समझौता ज्ञापन के बारे में ये प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग को अग्रेषित किये हैं। |
|--|

- भारत में लोकतंत्र की सफलता ने दुनिया भर की लगभग हर एक राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

प्रभाव:

- यह समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका लक्ष्य इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) और इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के लिए तकनीकी सहायता/ क्षमता का निर्माण करना है।
- यह चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग तथा उन देशों में चुनाव आयोजित कराने तक सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ई-प्रशासन हेतु समझौता

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ई-प्रशासन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के समझौते को कार्योत्तर मंजूरी दी है।
- समझौते के उद्देश्यों में ई-प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग तथा आईटी शिक्षा को बढ़ावा देना, विभिन्न क्षेत्रों के ई-प्रशासन उत्पादों/उपकरणों की शुरुआत करना तथा इनका कार्यान्वयन करना, डेटा केन्द्रों का विकास करना आदि शामिल हैं।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख कार्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय नेटवर्क के तहत सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उभरते क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- मंत्रालय ने चिह्नित क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न देशों की एजेंसियों के साथ समझौते किए हैं।

ई-गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य

- आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- GST से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन ही कर सकते हैं।
- बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, DTH इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
- PAN कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन।
- आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किये जा सकते हैं।
- ट्रेन, बस और हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।

ई-गवर्नेंस क्या हैं?

- ई-गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके, और बार बार आपको विभिन्न दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े।
- सीधे शब्दों में कहें तो ई-गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सके।
- सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस या ई-शासन कहलाता है।
- इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएँ और सूचनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई-शासन की दिशा में पहला कदम था।
- आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएँ इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं।
- विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय-जाति का प्रमाणपत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएँ हिन्दी में उपलब्ध हैं।
- इस दिशा में अभी शुरुआत ही हुई है तथा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सभी मूलभूत सरकारी सुविधाएँ कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगेंगी जिससे समय, धन तथा श्रम की बचत होगी तथा देश के विकास में योगदान मिलेगा।

ई-गवर्नेंस के प्रकार

- ई-गवर्नेंस चार प्रकार की होती है और चारों की एक अलग

- प्रणाली तथा कार्य शृंखला होती है, जिसके तहत वह कार्य करती है।
- ⦿ इसमें एक पूरा System बना होता है, जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए मदद करता है। इसके प्रकार कुछ इस प्रकार हैः-
 1. **G2G (Government to Government)** : जी 2 जी यानी सरकार से सरकार, जब सूचना और सेवाओं का आदान-प्रदान सरकार की परिधि में होता है, इसे जी 2 जी इंटरैक्शन कहा जाता है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है।
 2. **G2C (Government to Citizen)** : जी 2 सी यानी सरकार से नागरिक, यह सरकार और आप जनता के बीच बातचीत को जी 2 सी कहते हैं। यहां एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। नागरिकों को किसी भी समय, कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता है।
 3. **G2B (Government to Business)** : जी 2 बी यानी सरकार से व्यवसाय, इसमें ई-गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है।
 4. **G2E (Government to Employees)** : जी 2 ई यानी सरकार से कर्मचारी, किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है, यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है, साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनके संतुष्टि स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है।

ई-गवर्नेंस के चरण

- ⦿ ई-गवर्नेंस मौलिक रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और संचार प्रणालियों की नेटवर्किंग के विकास से जुड़ा हुआ है। भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत चार चरणों से हुई -
- ⦿ **कंप्यूटरीकरण (Computerization):** पहले चरण में, व्यक्तिगत कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ सभी सरकारी कार्यालय में पर्सनल कंप्यूटर स्थापित किये गए। कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ, इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आई।
- ⦿ **नेटवर्किंग :** इस चरण में, कुछ सरकारी संगठनों की कुछ इकाइयाँ को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और डेटा के प्रवाह के लिए एक हब के

माध्यम से जोड़ा गया।

- ⦿ **ऑन-लाइन उपस्थिति (On-line presence) :** तीसरे चरण में, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ, वेब पर उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई। इसके परिणामस्वरूप सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा वेबसाइटों का रखरखाव किया गया। आम तौर पर, इन वेब-पृष्ठों/वेब-साइटों में संगठनात्मक संरचना, संपर्क विवरण, रिपोर्ट और प्रकाशन, संबंधित सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य और दृष्टि विवरण के बारे में जानकारी होती थी।
- ⦿ **ऑनलाइन अन्तर्रिक्षियाशीलता (Online interactivity):** ऑन-लाइन उपस्थिति का एक स्वाभाविक महत्व सरकारी संस्थाओं और नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संचार चैनलों का खोला जाना था। इस चरण का मुख्य उद्देश्य डाउनलोड करने योग्य फॉर्म प्रदान करके सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफेस के दायरे को कम करना था।
- ⦿ **ई-गवर्नेंस भारत के लिए एक उत्कृष्ट अवसर देता है ताकि शासन की गुणवत्ता में मौलिक सुधार हो सके और इस तरह न केवल सेवा वितरण के लिए बल्कि नीतियों और सरकार के प्रदर्शन पर नागरिकों की राय प्राप्त करने के लिए सरकार और नागरिकों के बीच दो-तरफा संचार की अनुमति दें।**
- ⦿ बहिष्कृत समूहों तक अधिक पहुंच प्रदान करें, जिनके पास सरकार के साथ बातचीत करने और इसकी सेवाओं और योजनाओं से लाभ उठाने के कुछ अवसर हैं। समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करें।
- ⦿ आबादी के ग्रामीण और पारंपरिक रूप से हाशिए के क्षेत्रों को सक्षम करने के लिए अपने स्वयं के पड़ोस में सेवाओं के लिए तेजी से और सुविधाजनक पहुंच प्राप्त करें।


ई-गवर्नेंस के लाभ

- ई-गवर्नेंस शासन में सुधार है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम है।
- ई-गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और उत्कृष्ट सेवाओं की बेहतर पहुंच बनाता है।
- यह सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है।
- आईसीटी के उपयोग के माध्यम से शासन को व्यापक व्यापार प्रक्रिया के साथ संयुक्त रूप से पुनर्व्यवस्थित करने से जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण, संरचनाओं में सरलीकरण और विधियों और नियमों में बदलाव होगा।
- ई-गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए लाभप्रद है क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के घर-द्वारा तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

बांग्लादेश के 1800 क्लेक्टर, कमिश्नर स्तर के अधिकारी लेंगे भारत में ट्रेनिंग

चर्चा में क्यों?

- ➲ बांग्लादेश के अपर उच्चायुक्तों/अपर जिलाधीशों, उप-जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय सरकार के उप-निदेशक, वरिष्ठ सहायक सचिवों, वरिष्ठ सहायक आयुक्तों, सहायक आयुक्तों (भूमि) और मंत्रालयों में इनके समकक्ष अधिकारियों को अब भारत बेहतर ट्रेनिंग देगा।
- ➲ भारत और बांग्लादेश ने लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ भारत-बांग्लादेश के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक भारत सरकार का राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) अगले छह साल में बांग्लादेश के 1800 लोक सेवकों को प्रशिक्षण देगा।
- ➲ बांग्लादेश के ये सभी उच्चाधिकारी बांग्लादेश लोक सेवा (प्रशासन) कैडर से हैं। जिसमें अपर उच्चायुक्तों/अपर जिलाधीशों, उप-जिला निर्बाही अधिकारी, स्थानीय सरकार के उप-निदेशक, वरिष्ठ सहायक सचिवों, वरिष्ठ सहायक आयुक्तों, सहायक आयुक्तों (भूमि) और मंत्रालयों में इनके समकक्ष अधिकारी शामिल हैं।
- ➲ राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी), भारत सरकार के कार्मिक, जन-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार एवं जन-शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) के अंतर्गत आता है।
- ➲ एनसीजीजी 2019 में दो-दो सप्ताह की अवधि वाले 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की योजना बना रहा है। प्रशिक्षु अधिकारियों को एनसीजीजी के मंसूरी केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा और दिल्ली में उन्हें भारत सरकार के संस्थानों का प्रमण कराया जाएगा।
- ➲ इस अवसर पर डीएआरपीजी के सचिव और एनसीजीजी के महानिदेशक के, वी. इयपन ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के इस कार्यक्रम में यह सहयोग ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

- ➲ बांग्लादेश के लोक सेवकों को ई-गवर्नेंस एवं सेवा प्रदान, सार्वजनिक नीति एवं क्रियान्वयन, सूचना प्रौद्योगिकी, विकेन्द्रीकरण, शहरी विकास एवं योजना, प्रशासन नीति और एसडीजी (विकास लक्ष्यों) के क्रियान्वयन में चुनौतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- ➲ यह दूसरा मौका है जब एनसीजीजी ने बांग्लादेश के लोक सेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उसके साथ समझौता किया है। पांच साल पहले सहमति पत्र पर हुए समझौते में एनसीजीजी में बांग्लादेश के 1500 लोक सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

भारत और चीन के बीच संतुलित व्यापार

को बढ़ावा देने पर विशेष जोर

चर्चा में क्यों?

- ➲ कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत से चीन को निर्यात में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।
- ➲ भारत चालू वित्त वर्ष के दौरान चीन को अब तक का सर्वाधिक निर्यात करने की दिशा में अग्रसर है।
- ➲ अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान 12.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया, जो पिछले वर्ष किये गये 13.33 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात स्तर के काफी करीब है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ वाणिज्य विभाग ने उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने और भारतीय निर्यातकों एवं अन्य हितधारकों के साथ इसे साझा करने की पहल की, जहां अमेरिका आगे चलकर चीन में अपनी प्रतिस्पर्द्धी क्षमता गंवा देगा और जहां भारत की व्यापक निर्यात संभावनाएं हैं।
- ➲ वाणिज्य विभाग ने निर्यातकों को इस अवसर से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के जरिये चीन के खरीदारों के साथ अनेक व्यावसायिक (बी2बी) बैठकें आयोजित की गईं।
- ➲ चीन के अंगूर खरीदारों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अधीनस्थ भारत के अंगूर उद्यानों (ग्रेप फार्म) एवं अन्यसंबंधित इकाइयों (यूनिट) को देखने के लिए आमत्रित किया गया।
- ➲ भारत से चीन को निर्यात बढ़ाने में समुद्री उत्पादों, जैव रसायनों, प्लास्टिक, पेट्रोलियम उत्पादों, अंगूर और चावल का मुख्य योगदान रहा है।
- ➲ चीन के नियामकीय परिवेश, जो भारतीय निर्यातकों के लिए अब भी एक चुनौती है, को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य विभाग ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन तीन संधि पत्रों (प्रोटोकॉल) पर हस्ताक्षर किये थे :

- जून, 2018 में चीन को भारतीय चावल के निर्यात से संबंधित प्रोटोकॉल (गैर-बासमती चावल को शामिल करना) पर किंवंगडाओ में दोनों देशों के नेताओं की मौजूदगी में हस्ताक्षर किये गये थे, जिससे चीन को भारतीय चावल के निर्यात का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसकी शुरुआत कम मात्रा में चावल निर्यात से हुई और अब दोनों ही देशों के कारोबारियों द्वारा इसे व्यापक बढ़ावा देने की जरूरत है।
- 28 नवम्बर, 2018 को चीन के उप मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत से चीन को फिशमील (मछली का भोजन)/मछली के तेल के निर्यात से जुड़े प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गये।
- 21 और 22 जनवरी, 2019 को भारत से चीन को तंबाकू निर्यात से जुड़े प्रोटोकॉल का नवीकरण किया गया एवं इस पर हस्ताक्षर किये गये। इससे चीन को भारतीय तंबाकू के निर्यात का मार्ग प्रशस्त हो गया।
- वैसे तो भारत की कुछ चिंताओं को दूर कर दिया गया है, लेकिन चीन के बाजार में भारत की पैठ मजबूत करने के लिए अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- भारत से निकट भविष्य में चीन को सोयाबीन उत्पादों के और अनार के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर जल्द ही हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस दिशा में आपसी विचार-विमर्श प्रगति पर है।
- यद्यपि कई वस्तुओं के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं, लेकिन वास्तविक निर्यात में अब भी काफी बढ़ोतारी करने की जरूरत है।
- भारतीय निर्यातकों को इस अवसर के साथ-साथ हाल के घटनाक्रमों से भी लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- चीन के कई उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाये गये शुल्कों या डियूटी को ध्यान में रखते हुए भारत से अमेरिका को निर्यात करने के लिए भी इसी तरह के अनेक कदम उठाये गये हैं।

ट्रंप-किम के बीच दूसरी वार्ता

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन के बीच दूसरी बैठक वियतनाम में होने की संभावना है।
- ट्रंप-किम के बीच दूसरी बैठक फरवरी के अंत में होगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ओवल ऑफिस में उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ 'कोरियन वर्कर्स पार्टी सेंट्रल कमिटी' के उपाध्यक्ष, किम योंग चोल और ट्रंप

के बीच डेढ़ घंटे तक चली बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी।

- इससे पहले ट्रंप और किम की पहली शिखर वार्ता गत जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी।
- इसमें कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त करने पर सहमति बनी थी, लेकिन तब से इस मसले पर कोई खास प्रगति नहीं हुई।
- सिंगापुर में हुई शिखर वार्ता में परमाणु मसले पर दोनों देशों में वार्ता जारी रखने पर सहमति भी बनी थी, लेकिन बाद में आए गतिरोध के चलते बातचीत की प्रक्रिया ठहर गई थी।
- नए साल पर किम के बयान के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच दोबारा संपर्क शुरू हुआ।

अमेरिका द्वारा भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी सरकार ने घोषणा की है कि वह भारत में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में दो परियोजनाएं शुरू करेगा।
- इसे विश्व स्तर पर 5 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाने की ट्रंप प्रशासन की ऐतिहासिक पहल के हिस्से के रूप में किया जाएगा। इस पहल का नेतृत्व इवांका ट्रम्प करेंगी। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वरिष्ठ सलाहकार और बेटी हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने महिलाओं के वैश्विक विकास और समृद्धि (डब्ल्यू-जीडीपी) पहल को शुरू करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- इनमें से एक कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में शुरू किया जाएगा। हाइट हाउस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पेस्पिको के साथ साझेदारी में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये काम करेगा।
- हाइट हाउस ने कहा, ओपीआईसी (द ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन) का 10 करोड़ डॉलर का कर्ज भारत में महिलाओं को देने के लिये इंडसइंड के माइक्रोफाइनेंस का विस्तार करेगा।


अन्य बिन्दु :

- इसके अलावा यूएसएड-यूपीएस सहमति पत्र का उद्देश्य बाजारों में अपने सामान का निर्यात करने के लिये महिला उद्यमियों की क्षमताओं में सुधार करना है।

3

प्रश्नपत्र-

अंतरिम बजट 2019-20 सरकार का आय व्यय



आय

- ⌚ वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को लोकसभा में पेश अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) होगा और हर एक रूपए की प्राप्ति में इसका योगदान 21 पैसे होगा।
- ⌚ कॉरपोरेट कर से 21 पैसे, आयकर से 17 पैसे और सीमांत शुल्क से चार पैसे प्राप्त होने की संभावना है।
- ⌚ इसी तरह कर्ज एवं अन्य देनदारियों से 19 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से सात पैसे, गैर कर स्रोतों से आठ पैसे तथा कर्ज से इतर पूँजीगत आय से तीन पैसे प्राप्त होंगे।

व्यय

- ⌚ इसी तरह प्रति एक रुपए के खर्च में केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारियों का अंतरण है और इस मद में 23 पैसे खर्च होंगे।
- ⌚ ब्याज भुगतान पर 18 पैसे, रक्षा क्षेत्र पर आठ पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 12 पैसे तथा केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं पर नौ पैसे खर्च होंगे।
- ⌚ वित्त आयोग तथा अन्य हस्तांतरण पर आठ पैसे, छूट

(सब्सिडी) पर नौ पैसे और पेंशन पर पांच पैसे खर्च होंगे। आठ पैसे अन्य मदों पर खर्च होंगे।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

बृहत योजना

- ⌚ छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है।
- ⌚ इसके लिए बजट में 75 हजार करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2019-20 के लिए) तथा 20 हजार करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2018-19 का संशोधित अनुमान) के आवंटन का प्रावधान किया गया है।
- ⌚ इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- ⌚ भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना में 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 2,000 रुपये प्रत्येक तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।
- ⌚ इस कार्यक्रम को दिसंबर, 2018 से प्रभावी माना जाएगा और इस अवधि की पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च, 2019 तक कर दिया जाएगा।
- ⌚ मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के बारे में सतत ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग का सृजन करने का निर्णय लिया है।
- ⌚ इस प्रयास के माध्यम से सरकार इस क्षेत्र पर निर्भर लगभग 1.45 करोड़ लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करना चाहती है।
- ⌚ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियां कर रहे किसानों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा।
- ⌚ इसके अलावा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी।
- ⌚ इस वर्ष के बजट में ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन 750 करोड़ रुपये किया गया है। राष्ट्रीय कामधेनू आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है।

- ➲ इससे गाय संसाधनों का सतत अनुवांशिक उन्नयन करने और गायों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- ➲ यह आयोग गायों के लिए कानूनों और कल्याण योजना को प्रभावी रूप से लागू करने का काम भी देखेगा।
- ➲ असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को पेंशन संबंधी लाभ उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानन्धन नामक नई योजना की घोषणा की गई है।
- ➲ अगले पांच वर्षों के अंदर यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बन जाएगी।
- ➲ इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इस योजना को चालू वर्ष से ही लागू किया जाएगा।

कर लाभ

- ➲ 5 लाख रुपये तक की सालाना कर योग्य आमदनी वाले व्यक्तिगत करदाताओं को अब कोई आयकर नहीं देना होगा।
- ➲ जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्हें भी किसी प्रकार के आयकर के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि वे भविष्य निधि, विशेष बचतों, बीमा आदि में निवेश कर लेते हैं।
- ➲ साथ ही 2 लाख रुपये तक के आवास ऋण के ब्याज, शिक्षा ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्त कटौतियों के साथ उच्च आय वाले व्यक्तियों को भी कोई कर नहीं देना होगा।
- ➲ इससे स्व-नियोजित, लघु व्यवसाय, लघु व्यापारियों, वेतनभोगियों, पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों सहित मध्यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।
- ➲ वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती की राशि को मौजूदा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जा रही है।
- ➲ इससे 3 करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 4,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।
- ➲ अपने कब्जे वाले किसी दूसरे घर पर सांकेतिक किराए पर आयकर पर छूट का अब प्रस्ताव किया गया है। फिलहाल ऐसे सांकेतिक किराए पर आयकर का भुगतान करना होता है, यदि किसी के पास अपने कब्जे में एक से अधिक घर हो।
- ➲ बैंक/डाकघर बचतों पर अर्जित ब्याज के स्रोत पर कर कटौती को बढ़ाकर 10,000 रुपये से 40,000 रुपये किया जा रहा है।
- ➲ छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से किराए पर कर कटौती के लिए टीडीएस को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर

2,40,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

- ➲ वित्त मंत्री के अनुसार, जल्द ही 90 प्रतिशत से अधिक जीएसटी, भुगतान करने वाले कारोबारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की अनुमति होगी।

मुद्रा स्फीति

- ➲ पिछले 5 वर्षों में सरकार औसत महंगाई दर को 4.6 प्रतिशत तक नीचे लाने में सफल रही है।
- ➲ दिसम्बर 2018 में महंगाई दर 2.19 प्रतिशत तक नीचे आ गई थी।
- ➲ महंगाई पर नियंत्रण से खाद्य, यात्रा, उपभोक्ता वस्तुओं, आवास आदि जैसी मूलभूत जरूरतों पर 35-40 प्रतिशत खर्च कम हुआ।

राजकोषीय घाटा

- ➲ वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत तक गया। चालू खाता घाटा इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के केवल 2.5 प्रतिशत रहने की संभावना है।

वृद्धि और प्रत्यक्ष विदेश निवेश

- ➲ वर्ष 2013-14 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अब हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।
- ➲ स्थिर और अनुमान योग्य नियामक शासन, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था एवं मजबूत बुनियादी आधारों के कारण भारत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 239 बिलियन डॉलर की व्यापक धनराशि को आकर्षित करने में सक्षम रहा है।

प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटनों में वृद्धि

- ➲ 2019-20 के बजट अनुमानों के लिए मनरेगा हेतु 60,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा हुई और यदि आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त आवंटन किया जायेगा।
- ➲ वित्त वर्ष 2018-19 के 15,500 करोड़ रुपये की तुलना में 2019-20 के बजट अनुमानों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किये जा रहे हैं।
- ➲ वर्ष 2014-18 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया।

विद्युत

- ➲ मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली के कनेक्शन भी प्रदान किये जायेंगे।
- ➲ अब तक एक मिशन मोड के तहत 143 करोड़ एलईडी बल्ब प्रदान किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप गरीब और मध्यम वर्ग को 50,000 करोड़ की बचत हुई है।

चिकित्सा

- ⌚ देश में करीब 50 करोड़ लोगों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, आयुष्मान भारत के अंतर्गत करीब 10 लाख रोगी निःशुल्क चिकित्सा के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं और इस चिकित्सा उपचार की लागत करीब 3,000 करोड़ रुपये होगी।
- ⌚ लाखों गरीबों और मध्यम वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से किफायती मूल्यों पर आवश्यक दवा, हृदय के स्टेट और घुटने के प्रत्यारोपण के खर्च में कमी के साथ-साथ औषधियों की आसान उपलब्धता से भी लाभान्वित हुए हैं।
- ⌚ वर्ष 2014 में 21 एम्स संस्थानों की घोषणा के बाद से देश में 14 एम्स संस्थान या तो संचालित हैं अथवा स्थापित किए जा रहे हैं।
- ⌚ हरियाणा में एक नये (22वें) एम्स संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की गई।
- ⌚ समेकित बाल विकास योजना के लिए आवंटन को 2018-19 के संशोधित अनुमान के 23,357 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2019-20 के बजटीय अनुमान में 27,584 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

- ⌚ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।
- ⌚ अनुसूचित जाति के लिए 2018-19 के बजट अनुमान में 56,619 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, बाद में संशोधित अनुमान में इसे बढ़ाकर 62,474 करोड़ रुपये किया गया।
- ⌚ वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में इसे बढ़ाकर 76,801 करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में 35.6 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।
- ⌚ अनुसूचित जनजातियों के लिए भी वर्ष 2019-20 के बजटीय अनुमान में यह धनराशि 39,135 करोड़ रुपये थी, जो 28 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।
- ⌚ पहुंच से वंचित गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लाभ के लिए सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत विशेष रणनीतियां तैयार करने के लिए एक कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- ⌚ नीति आयोग के तहत एक समिति भी गठित की जाएगी, जो गैर-अधिसूचित, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों की पहचान के कार्य को पूरा करेगी।

मनोरंजन

- ⌚ बड़ी संख्या में रोजगार देने वाले मनोरंजन उद्योग में नियामकीय प्रावधान अब स्व-घोषणाओं पर कहीं अधिक निर्भर करेंगे।

- ⌚ मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्मों की शूटिंग सुनिश्चित करने के लिए एकल खिड़की मंजूर की सुविधा भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी दी जाएगी, जो केवल विदेशी फिल्म निर्माताओं को ही उपलब्ध है।
- ⌚ पायरेसी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी-कैमर्कॉर्डिंग प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा।
- ⌚ एंटी कैमर्कॉर्डिंग प्रावधान में संशोधन से सिनेमा उद्योग की वृद्धि में तेजी आएगी और सिनेमा हॉल में फिल्मों की अवैध रिकॉर्डिंग में कटौती होगी और पाइरेसी खत्म करने की दिशा में मदद मिलेगी।
- ⌚ फिक्टी-ई-मीडिया और मनोरंजन रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक पाइरेसी से फिल्म के राजस्व में 30 फीसदी तक का नुकसान होता है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लेक्स में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान 90 फीसदी अवैध प्रिंट की रिकॉर्डिंग होती है।

विविध

- ⌚ उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य था। इसमें 6 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं और बकाया मुफ्त कनेक्शन भी अगले वर्ष तक दे दिये जायेंगे।
- ⌚ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में जल्दी ही विकसित किया जाएगा।
- ⌚ औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग को अब उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का नया नाम दिया जाएगा।
- ⌚ देश का रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ से अधिक है।
- ⌚ पिछले 5 वर्षों के दौरान घरेलू विमान यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजित किए जा रहे हैं।
- ⌚ संचालित हवाई अड्डों की संख्या 100 से अधिक हो गई है।
- ⌚ सिक्किम में पेक्योंग हवाई अड्डा शुरू हो गया है।
- ⌚ अरुणाचल प्रदेश अभी हाल में हवाई यातायात मानचित्र पर आया है और मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम पहली बार देश के रेल मानचित्र पर आए हैं।
- ⌚ भारतीय रेल के लिए बजट में 64,587 करोड़ रुपये (2019-2020 बजट अनुमान) के पूंजीगत सहयोग का प्रस्ताव किया गया।
- ⌚ रेल का कुल पूंजीगत परिव्यय कार्यक्रम 1,58,685 करोड़ रुपये का है।
- ⌚ परिचालन अनुपात 2017-18 के 98.4 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 96.2 प्रतिशत और

2019-20 (बजट अनुमान) में 95 प्रतिशत होने का अनुमान जताया गया है।

- ⌚ पिछले पांच वर्षों में भारत की स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 10 गुनी बढ़ी है।
- ⌚ नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में सरकारी प्रतिबद्धता अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के गठन से परिलक्षित होती है। यह पहली संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ⌚ वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष करों के संग्रह में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और कर आधार भी बढ़ गया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2017-18 में पहली बार 1.06 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं, जो मुख्यतः विमुद्रीकरण के कारण संभव हुआ है।
- ⌚ वित्तीय प्रतिभूतियों के लेन-देन पर लगाए और एकत्रित किए गए स्टाम्प शुल्क में सुधार किया जाएगा। वित्त विधेयक के जरिए इसमें आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है।
- ⌚ एक लेन-देन से संबंधित एक लिखित स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से एक ही स्थान पर एकत्रित की जाएगी।
- ⌚ इस प्रकार एकत्रित किए गए शुल्क को क्रेता ग्राहक के अधिवास के आधार पर राज्य सरकारों के साथ निर्बाध रूप से साझा किया जाएगा।
- ⌚ कुल मिलाकर समग्र व्यय वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान के 24,57,235 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 27,84,200 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें 3,26,965 करोड़ रुपये अथवा लगभग 13.30 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- ⌚ वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- ⌚ राजकोषीय घाटे के 3 प्रतिशत के लक्ष्य वर्ष 2020-21 तक हासिल किया जाएगा।
- ⌚ वर्ष 2017-18 में भारत का ऋण-जीडीपी अनुपात 46.5 प्रतिशत था।
- ⌚ एफआरबीएम अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात को वर्ष 2024-25 तक घटाकर 40 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाना चाहिए।
- ⌚ वित्त मंत्री के अनुसार ‘राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही अब ऋण समेकन पर फोकस किया जाएगा।’

बजट बनाने की प्रक्रिया

- ⌚ हर साल वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय

बजट तैयार करता है। वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करते हैं।

- ⌚ बजट में सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखा-जोखा होता है। इसकी तैयारी, प्रस्तुति और क्रियान्वयन में कई चरण शामिल होते हैं।

अगस्त-सितंबर में शुरू होती है प्रक्रिया

- ⌚ बजट बनाने की शुरूआत अगस्त-सितंबर से हो जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को बजट सर्कुलर के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करता है।
- ⌚ इन्हें फिर फैल्ड अफसरों के बीच बाट दिया जाता है। ये अपने-अपने विभागों के खर्चों और आमदनी का ब्योरा देते हैं। ये वित्त वर्ष के दौरान अपनी जरूरतों के बारे में भी बताते हैं।

आंकड़ों का संग्रह और सत्यापन

- ⌚ अधिकारियों के आंकड़ों की जांच उनके विभाग के शीर्ष अधिकारी करते हैं। मंजूरी के बाद इन आंकड़ों और अनुमानों को संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया जाता है। यहां दोबारा इनकी जांच की जाती है।
- ⌚ अंत में इन आंकड़ों और अनुमानों को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय भी इनकी जांच करता है। मौजूदा आर्थिक स्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन अनुमानों का मिलान किया जाता है।

धन का आवंटन

- ⌚ पूरी सावधानी के साथ हर पहलू की समीक्षा करने के बाद वित्त मंत्रालय विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों को आवंटन के बारे में फैसला करता है। साथ ही नई कल्याणकारी स्कीमों का भी सुझाव देता है।
- ⌚ कई बार संसाधनों के आवंटन में मंत्रालयों के बीच विवाद खड़ा हो जाता है। उस स्थिति में वित्त मंत्रालय, केंद्रीय कैबिनेट या प्रधानमंत्री से विचार-विमर्श करता है। उनके फैसले अंतिम माने जाते हैं।
- ⌚ भविष्य के खर्चों के लिए संसाधनों का आवंटन करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के साथ वित्त मंत्रालय अनुमानित कमाई की रिपोर्ट तैयार करता है।
- ⌚ इस प्रक्रिया के दौरान वित्त मंत्रालय के तमाम विभाग भी हितधारकों (किसान, उद्योग, अर्थशास्त्री इत्यादि) के साथ विचार-विमर्श करते हैं। इसका मकसद मौजूदा स्थितियों पर और अधिक जानकारी जुटाना होता है।

बजट की प्रिंटिंग

- ⌚ परंपरागत हलवा समारोह के साथ बजट के छपने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें अन्य अधिकारियों और स्टाफ के साथ वित्त मंत्री हलवा खाते हैं। इस समारोह के बाद केंद्रीय बजट

के छपने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

- ⇒ इस दौरान बजट बनाने में शामिल सभी अधिकारी और स्टाफ मंत्रालय परिसर के भीतर ही रहते हैं। बाहरी दुनिया के साथ इनका संपर्क बिल्कुल कट जाता है। कारण है कि इन्हें संसद में बजट के पेश होने से पहले पता होता है कि इसमें क्या कुछ जा रहा है।
- ⇒ वित्त मंत्री एक तय तारीख पर संसद में बजट पेश करते हैं। बीते कुछ सालों से एक फरवरी को बजट पेश होता है। चुनावी साल के दौरान इसे दो बार बनाया और पेश किया जाता है।
- ⇒ इसमें अगले दो या चार महीनों के खर्च और आमदनी का अनुमान रहता है। चुनाव के बाद बाकी के साल का अंतिम बजट आता है। इसे नई सरकार पेश करती है।

अंतरिम बजट क्या है?

- ⇒ संविधान के अनुच्छेद 112 में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का उल्लेख है। संविधान के मुताबिक केन्द्र सरकार पूरे एक साल के अलावा आंशिक समय के लिए भी यह लेखा-जोखा संसद में पेश कर सकती है।
- ⇒ यदि सरकार अपने राजस्व और खर्च का यह लेखा-जोखा कुछ माह के लिए पेश करे तो उसे अंतरिम बजट अथवा 'वोट ऑन अकाउंट' की संज्ञा दी जाती है।
- ⇒ अंतरिम बजट को लेखानुदान मांग और मिनी बजट भी कहते हैं।
- ⇒ खास बात है कि जहां पूर्ण बजट में केन्द्र सरकार पूरे एक साल के राजस्व की स्थिति के साथ खर्च का ब्यौरा देती वहीं इस पूर्ण बजट के लिए संसद से अनुदान तिमाही अथवा छमाही आधार पर ही लेती है और इसके लिए पूर्ण बजट के बाद भी वह वोट ऑन अकाउंट का इस्तेमाल करती है।
- ⇒ वोट ऑन अकाउंट आम तौर पर केन्द्र सरकार चुनावी वर्ष में करती है। संसदीय प्रणाली के मुताबिक संसद में बजट 1 फरवरी को पेश करना होता है।
- ⇒ यह बजट सरकार आने वाले वित्त वर्ष के लिए देती है। लेकिन चुनावी वर्ष में यह महत्वपूर्ण हो जाता है सत्तासीन सरकार अपने खर्च और राजस्व का ब्यौरा सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सीमित रहे।
- ⇒ जिससे नई सरकार गठन होने के बाद वित्त वर्ष के बचे हुए समय के लिए वह अपना आम बजट लेकर आ सके।
- ⇒ केन्द्र में मौजूदा सरकार का कार्यकाल मई मध्य के बाद खत्म हो जाएगा और देश में चुनावी प्रक्रिया फरवरी मध्य के बाद किसी समय शुरू की जा सकती है।
- ⇒ वहीं मई में नई सरकार के गठन के बाद जून-जुलाई में पहले संसद सत्र के दौरान नई सरकार चालू वित्त वर्ष की आम बजट पेश करेगी।
- ⇒ गैरतलब है कि संसदीय परंपरा के मुताबिक चुनाव में जा

रही सत्तासीन सरकार इस अंतरिम बजट में किसी बड़े खर्च का प्रावधान नहीं करती है।

- ⇒ ऐसा इसलिए जिससे देश में गठित होने वाली नई सरकार अपने राजस्व और खर्च को निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहे।

पूर्ण बजट तथा अंतरिम बजट में अंतर

पूर्ण बजट (Budget)

1. आम बजट या पूर्ण बजट या भारत सरकार पूरे वित्त वर्ष का लेखा-जोखा संसद के समक्ष रखती है। पूर्ण बजट में सरकार संसद को बताती है कि वो आने वाले वित्त वर्ष में कितना धनराशि खर्च करेगी।
2. पूर्ण बजट में सरकार आंकड़ों के द्वारा यह बताती है कि वो देश में वर्ष भर में किस चीज पर कितना धनराशि खर्च करने वाली है।
3. संविधानविदों के अनुसार, भारत के संविधान में "बजट" शब्द का जिक्र नहीं है। इसकी जगह संविधान के अनुच्छेद 112 में सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होता है।
4. हालांकि लोग इस 'वार्षिक वित्तीय विवरण' को साधारण बोलचाल की भाषा में आम बजट कहते हैं।

अंतरिम बजट (Interim Budget)

1. भारत में जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव होता है उस साल सरकार पूर्ण बजट न पेश करके 'अंतरिम बजट' पेश करती है। चुनावी सरकार बजट पेश नहीं करती है लेकिन नई सरकार के गठन तक होने वाले खर्च का इंतजाम करने के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है।
2. अंतरिम बजट में सरकार कोई भी ऐसा नीतिगत फैसला या प्रावधान नहीं करती जिसमें संसद की मंजूरी लेनी पड़े। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अंतरिम बजट में सरकार कोई ऐसा फैसला भी नहीं करती जिससे कानून में बदलाव करने की आवश्यकता पड़े।
3. भारत सरकार अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष कर में भी कोई बदलाव नहीं करती। हालांकि सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो अंतरिम बजट में सर्विस टैक्स, एक्साइड्यूटी या पोर्ट टैक्स में राहत प्रदान कर सकती है।
4. अंतरिम बजट में भारत सरकार अपनी राजकोषीय योजना के मुताबिक ही धन का आवंटन करती है।

अंतरिम बजट और लेखानुदान में अंतर

- ⇒ जब केन्द्र सरकार पूरे साल की बजाय कुछ ही महीनों के लिए संसद से जरूरी खर्च के लिए अनुमति मांगती है तो

- वह अंतरिम बजट की बजाय बोट औन अकाउंट पेश कर सकती है।
- ⌚ अंतरिम बजट और बोट औन अकाउंट दोनों ही कुछ ही महीनों के लिए होते हैं लेकिन दोनों के पेश करने के तरीके में अंतर होता है।
 - ⌚ अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्लौरा देती है जबकि लेखानुदान में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है।

डिजिटल फार्मिंग

खर्च में क्यों

- ⌚ तेजी से बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन ने दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है।
- ⌚ अगर इसी तरह मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती रही, पानी की कमी होती रही या जलवायु परिवर्तन के चलते कम और खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उत्पादित होते रहे तो लोगों में भूख की समस्या बढ़ जाएगी।
- ⌚ इस क्रम में डिजिटल फार्मिंग उपर्युक्त समस्या का समाधान हो सकता है। डिजिटल फार्मिंग से टिकाऊ खेती के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ⌚ स्वतः: काम करने वाले रोबोट, ड्रोन, जीपीएस प्रणाली, अत्याधुनिक विज्ञान सहित दुनिया भर के किसान नई तकनीकों के इस्तेमाल से कम लागत में स्मार्ट खेती के तरीके से इस दिशा में कदम भी बढ़ा चुके हैं।
- ⌚ भारत सहित अमेरिका, हंगरी, चीन और अफ्रीका के किसान टिकाऊ खेती के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं।
- ⌚ कुछ साल पहले तक किसान पुराने पारंपरिक तरीकों से खेती करते रहते थे। उनके पास इतने साधन और सुविधाएं नहीं थीं कि वे खेती में नए प्रयोग कर पाएं या खेती में होने वाली

समस्याओं से निपट पाएं लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह किसान डिजिटली सक्षम हुए हैं उससे कृषि क्षेत्र का काफी विकास हुआ है।

- ⌚ हाल ही में एक नया टर्म डिजिटल फार्मिंग चलन में आया है।

डिजिटल फार्मिंग

- ⌚ सुरक्षित, पौधिक और किफायती भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही खेती को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानि आईटी का इस्तेमाल करना ही डिजिटल कृषि कहलाता है।
- ⌚ किसान अब खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं से निपटने, नई कृषि विधियां सीखने और दुनिया भर में हो रहे कृषि प्रयोगों के बारे में जानने के लिए फेसबुक, ह्वाइट्सप्प, यूट्यूब, सीडी जैसे साधनों से जुड़ रहे हैं। खेती को बेहतर बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ये प्लेटफॉर्म काफी काम आ रहे हैं।
- ⌚ भारत में आज भी ज्यादातर खेती मौसम के हालत पर टिकी है, जिसमें ज्यादा जोखिम है, लेकिन किसान घर बैठे कृषि वैज्ञानिकों के बताए तरीकों से इन समस्याओं से निपट रहे हैं।

आईटी के फायदे

- ⌚ फसलों को रोपने और बीजाई करने के बारे में नयी तकनीकों के बारे में जानकारी मुहैया कराना। एगो-क्लाइमेटिक यानि खेती के लिए अनुकूल मौसम आधारित अध्ययन के जरिए जरूरी सूचना देना।
- ⌚ सभी फसलों के बारे में अलग-अलग तौर पर उनकी मांग और आपूर्ति की जानकारी देना, ताकि ज्यादा मांग और कम आपूर्ति वाली फसलों के उत्पादन पर वे ज्यादा जोर दे सकें।
- ⌚ फसल से जुड़े, रोपण, बीज शोधन, कटाई आदि के बारे में जानकारी देना। किस मूल्य पर किस बाजार में फसलों को बेचा जाए, इस बारे में समुचित सूचना मिलती है।



- ⌚ जिन किसानों को ठीक से पढ़ना नहीं आता वे भी वीडियो को देखकर और सुनकर खेती के बारे में जानकारी ले लेते हैं।
- ⌚ किसानों के लिए कई ऐप्स हैं जिनसे खेती से जुड़ी हर जानकारी चुटकियों में मिल जाती है।

खंभासामिक सूक्ष्मों से संबंधित लेख

आसमान में खुली ड्रोन की खिड़की

संदर्भ :

सड़क पर तेज दौड़ती कार के पीछे सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी है और आसमान में एक ड्रोन भी उस पर हमला करने के तैयार है। ड्रोन को देखकर अपराधी सहम जाते हैं और कार रोक देते हैं। बैंक लूट कर भाग रहे अपराधियों को इस तरह पुलिस पकड़ने में कामयाब हो जाती है।

रात के अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को लगता है कि बाड़ को काटकर वे कुछ ही देर में भारतीय सीमा में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन यह क्या, आसमान से एक सैन्य ड्रोन उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और आतंकियों को उलटे पैर भागना पड़ जाता है।

शहर के नामी अस्पताल में भर्ती एक मरीज की जान खतरे में है। उसका लिवर ट्रांसप्लाट किया जाना है। ट्रांसप्लाट के लिए लिवर मिल चुका है। वह शहर से 50 किलोमीटर दूर दूसरे छोर पर मौजूद

अस्पताल में एक विशेष बॉक्स में रखा गया है। उसे मरीज तक जल्दी पहुँचाना चुनौती है क्योंकि शहर में लगे ट्रैफिक जाम की वजह से इसमें दो से तीन घंटे लग सकते हैं। यह काम एक ड्रोन को सौंपा जाता है। ड्रोन 15 मिनट में अस्पताल के ड्रोनपोर्ट पर लिवर वाले बॉक्स लेकर हाजिर हो जाता है और ट्रांसप्लाट सफल साबित होता है।

पिज्जा डिलीवरी तो इतनी आम हो चुकी है कि अब ज्यादातर कंपनियाँ ऑर्डर मिलने के 15 मिनट बाद भी घर की खिड़की से ड्रोन के जरिये गरमार्ग फिज्जा पहुँचा देती हैं। लोगों को इसमें कोई खास बात नहीं लगती है।

यह सब अभी हमें एक कल्पना का हिस्सा लगता है, लेकिन इनकी एक सच्चाई यह है कि जल्दी ही भारत में भी ऐसा सब कुछ आँखों के सामने घटित होते दिखाई दे सकता है। इसकी वजह है 1 दिसंबर 2018 को सरकार द्वारा ड्रोन्स की उड़ान का पंजीकरण शुरू किया जाना। इससे पहले

सरकार अगस्त 2018 में ड्रोन पॉलिसी 2.0 लागू कर चुकी थी और इसकी नियम-शर्तों की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन पंजीकरण शुरू होने से पहले वैधानिक रूप से ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं थी। पर अब कोई व्यक्ति या कंपनी एक तय आकार के ड्रोन को निर्धारित किए गए इलाकों (जोन) में नियम-कायदों के तहत ड्रोन उड़ा सकता है और उनसे वे काम ले सकता है, जिसके लिए वे बनाए गए हैं।

क्या है ड्रोन पॉलिसी ?

वैसे तो देश में वर्ष 2017 में ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था, लेकिन इसे अंतिम रूप अगस्त 2018 में दिया गया। इसमें बताया गया कि अलग-अलग कामों के लिए कोई ड्रोन कितने आकार का हो सकता है, उसे किस ऊँचाई पर और किन इलाकों में उड़ाया जा सकता है। सबसे पहले तो ड्रोन का आकार तय करते हुए उसकी 5 श्रेणियां बनाई गई-

- ③ **नैनो ड्रोन:** नैनों ड्रोन अधिकतम 250 ग्राम का हो सकता है। ऐसे ड्रोन जमीन से 50 फीट की ऊँचाई तक उड़ाए जा सकेंगे और ये मुख्यतः मनोरंजन या खेल के काम आ सकते हैं। खास बात यह है कि नैनो ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी तरह के परमिट और यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत नहीं होगी। पंजीकरण कराने के बाद इन्हें निर्धारित जगहों में उड़ाया जा सकेगा।

- ③ **माइक्रो ड्रोन:** ये ड्रोन 250 ग्राम से 2 किलो ग्राम तक वजन के हो सकते हैं। इन्हें 200 फीट की ऊँचाई तक उड़ाना जा सकेगा। इनका इस्तेमाल सेना अथवा पुलिस सुरक्षा, निगरानी



- या जासूसी के काम में कर सकेंगी।
- ⇒ **स्माल ड्रोन:** दो किलो से 25 किलो ग्राम के स्माल ड्रोन 400 फीट की ऊँचाई तक उड़ा सकते हैं और इनसे शादी में वीडियोग्राफी करने के अलावा भविष्य में इजाजत मिलने पर सामानों की डिलिवरी भी की जा सकेंगी।
- ⇒ **मीडियम ड्रोन:** इस श्रेणी के ड्रोन 25 किलो से 150 किलो तक हो सकते हैं। इन्हें 400 फीट की ऊँचाई तक उड़ा सकते हैं। इनका इस्तेमाल खेती और औद्योगिक कार्यों में हो सकता है।
- ⇒ **लार्ज ड्रोन:** सबसे बड़े लार्ज श्रेणी के ड्रोन 150 किलोग्राम से ज्यादा वजन के होंगे, पर इन्हें भी 400 फीट तक उड़ाया जा सकेगा। इनका इस्तेमाल भी औद्योगिक और सैन्य कार्यों में ही सकेगा।

जरूरी है पंजीकरण

पहली दिसंबर, 2018 से ड्रोन उड़ाने के जो नियम लागू किए गए, उनमें 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले तो ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए-डायरेक्टरेट ऑफ जनरल सिविल एविएशन) से अनमैन्ड एरियल ऑपरेटर परमिट (यूएओपी) लेना होगा और फिर विशिष्ट पहचान क्रमांक यानी यूनीक आइडंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) हासिल करना होगा।

इसके अलावा हर किसी के ड्रोन को उड़ाने से पहले ड्रोन ऑपरेटर को अपना उड़ान प्लान बताना होगा। ये ड्रोन कहाँ उड़ाए जा सकते हैं, इसका निर्धारण भी ग्रीन, येलो और रेड जोन के रूप में किया गया है। ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए सिर्फ उड़ान का वक्त और स्थान की सूचना देना पर्याप्त होगा। येलो जोन में उड़ान से पहले डीजीसीए से इजाजत लेनी होगी। रेड जोन में कोई ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता।

ड्रोन के लिए रजिस्ट्रेशन और विशिष्ट

पहचान तो जरूरी है ही, साथ ही उन्हें हर उड़ान के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से अनुमति भी लेनी होगी। स्थानीय पुलिस को भी उड़ान की सूचना देगी होगी। दो किलोग्राम से कम वजन वाले मॉडल एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन शैक्षणिक उद्देश्यों से 200 फीट की ऊँचाई पर उड़ान भर सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कई खास जगहों पर ड्रोनों को उड़ाया नहीं जा सकेंगा। जैसे, चालू एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। इसी तरह अतर्रष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा से 50 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी।

देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि के आस-पास के आधे से 5 किलोमीटर के दायरे में इनकी उड़ान प्रतिबंधित है। ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर भी ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। इसी तरह चलती हुई ट्रेन या जहाज से ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। साथ ही संरक्षित अभ्यारण्यों आदि खास इलाकों में विशेष अनुमति लेने के बाद ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन नियमों के मुताबिक अगर कोई ड्रोन रास्ता भटककर नो-लाई जोन में चला जाता है तो उसे नष्ट किया जा सकेगा।

क्या है ड्रोन ?

सवाल यह है कि आखिर ड्रोन शब्द आया कहाँ से। अंग्रेजी की डिक्शनरी में शब्द ड्रोन के मायने होते हैं नर मधुमक्खी। लेकिन जब इस शब्द का प्रयोग मानव या पायलटरहित विमानों के लिए किया गया, तो यह शब्द ज्यादा प्रचलित हो गया। तकनीकी की भाषा में ड्रोन असल में रिमोटली पायलेटेड एरियल स्ट्रिम (आरपीएएस) कहलाते हैं। यानी उड़ने वाला ऐसा उपकरण जिसे दूर बैठकर रिमोट आदि से कंट्रोल किया जा सके।

वास्तविकता यह है कि ड्रोन कहे जाने से पहले तक ऐसे विमानों को अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएबी ही कहा जाता

था। कुल मिलाकर यह ऐसा मानवरहित छोटा विमान होता है जिसका संचालन कम्प्यूटर अथवा रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है।

इनका उपयोग ज्यादातर उन्हीं जगहों पर होता है, जहां इसांन खुद नहीं जा सकता या जहां जाने पर लोगों की जान को खतरा होता है। अब ऐसे ड्रोन भी बनने लगे हैं जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अपने सेंसरों और कम्प्यूटरीकृत प्रोग्रामों की बदौलत अपनी उड़ानें खुद कंट्रोल कर सकते हैं।

ड्रोन का उपयोग

मोटे तौर पर दुनिया में दो-तीन तरह के ड्रोन प्रचलित हैं। 1. खेलने या निगरानी या किसी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए, 2. सामानों की डिलिवरी करने या आकाश से किसी आयोजन की वीडियोग्राफी करने के लिए और 2. मिसाइल और बमों से लैस लड़ाकू ड्रोन- कहीं पर हमला करने के लिए। उपयोग के आधार पर ही ड्रोन की डिजाइन, क्षमता और कार्य प्रणाली में अंतर आ जाता है।

सामान्य ड्रोन के डैने 4 या 8 भुजाओं के रूप में होते हैं। इन्ही डैनों में ड्रोन को चलाने वाली मोटर व पंखे लगे होते हैं। इनका वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किग्रा। या अधिक होता है। बनावट और उपयोग के हिसाब से ही ड्रोन की उड़ान तय होती है। जैसे खिलौना या निगरानी करने वाले ड्रोन काफी हल्के होते हैं। इसलिए एक बार बैटरी चार्ज करने पर ये 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं।

छोटे ड्रोन 40 किमी प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर के दायरे में निगरानी कर सकते हैं। इनके मुकाबले सैन्य ड्रोन काफी भारी होते हैं और उनका डिजाइन भी अलग होता है।

सैन्य ड्रोन किसी छोटे विमान जैसे ही होते हैं और 4 या 8 भुजाओं की जगह उनके विमानों जैसे ही दो डैने होते हैं। ऐसे ड्रोन आसमान में 25 हजार फीट या 7620 मीटर की ऊँचाई तक जा सकते हैं।

ड्रोन की क्रियाविधि

सामान्य तौर पर एक मानवरहित विमान या ड्रोन को उड़ाने को दोस्तरीय व्यवस्था होती है। इसमें एक और पायलट होता है पर वह ड्रोन में नहीं बैठता, बल्कि वह रिमोट कंट्रोल के जरिए ड्रोन पर नियंत्रण करता है। इसके साथ में एस व्यक्ति ऑपरेटर की भूमिका में होता है जो इस पर नजर रखता है कि ड्रोन किस दिशा में जा रहा है। ऐसी व्यवस्था आम तौर पर असैनिक उद्देश्यों के लिए काम में लाए जा रहे ड्रोन के लिए होती है।

सैन्य भूमिका में काम आने वाले ड्रोन ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वे एक कम्प्यूटरीकृत कंट्रोल के तहत उड़ान भरते हैं और कम्प्यूटर से मिले निर्देश के अनुसार निश्चित की गई जगह पर बम अथवा मिसाइल दागने का काम करते हैं। सैनिक उपयोग में आने वाले

ड्रोन काफी ताकतवर होते हैं और सामान्य ड्रोन के मुकाबले कई गुना ज्यादा लंबी उड़ान भर सकते हैं। सैन्य या पुलिस के इस्तेमाल में आने वाले ड्रोन सबसे ताकतवर होते हैं।

दुश्मन देश की सीमा के नजदीक या किसी दंगाग्रस्त इलाके की निगरानी वाले ड्रोन्स की चार या आठ भुजाओं में बैटरी के अलावा वीडियो कैमरे व सेंसर लगे होते हैं। सैन्य ड्रोन में कई और भी इंतजाम करने होते हैं। जैसे ब्रिटेन द्वारा बनाए गए ड्रोन (यूएवी)- प्रिडेटर में 3 किलोवॉट की एक बैटरी होती है जो इसे स्टार्ट करने के लिए आरंभिक ऊर्जा देती है।

इसके अगले और पिछले हिस्से में रबर से बने यूल टैंक होते हैं। ये टैंक अपने साथ करीब 600 पौंड ईंधन ले जा सकते हैं। इंजन को ठंडा रखने वाले एंटीफ्रीज

पदार्थ के साथ 7.6 लीटर मोटर ऑयल भी इसमें होता है जो इसकी मशीनों में चिकनाई बनाए रखता है। इनके अतिरिक्त 14 एंपियर की दो आपातकालीन बैटरियां भी इसमें होती हैं जो पावर ठप होने की स्थिति में भी ड्रोन को उड़ाए रखने में मदद देती हैं।

कुछ काम ऐसे हैं जहां ड्रोन के इस्तेमाल के रास्ते खोजे जा रहे हैं। इसके लिए अमेरिकी यूनीवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन ने ड्रोन जर्नलिज्म लैब तैया की है।

इसके अलावा, यूनीवर्सिटी ऑफ मेसूरी ने ड्रोन जर्नलिज्म का कोर्स भी शुरू किया है। अमेरिकी एविएशन डिपार्टमेंट उन रिसर्चरों को ड्रोन के इस्तेमाल की आसानी से मंजूरी देने लगा है, जो इस मशीन के अनूठे इस्तेमाल की दिशा में काम कर रहे हैं।

भूमि अधिग्रहण : कार्यक्रम व क्रियान्वयन

संदर्भ :

सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर कर जमीन हथिया रही हैं और लोगों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भूमि बैंक बढ़ाने की हड्डबड़ी में राज्य भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (संक्षेप में भूमि अधिग्रहण कानून, 2013) को कमजोर कर रहे हैं।

यह कानून सही दिशा में उठाया गया कदम माना गया था, लेकिन पाँच साल बाद भी विरोध प्रदर्शन और न्यायालय में बढ़ते मुकदमों से यह साबित होता है कि अधिग्रहण प्रक्रिया सही रास्ते पर नहीं है। इसके कारणों को समझने के लिए दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने नवंबर 2017 को सूचना के अधिकार के तहत 28 राज्यों से इससे संबंधित जानकारियों मांगी।

गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ने सूचनाएं

उपलब्ध ही नहीं कराई। कुछ ने आधे अधूरे जवाब दिए। सूचनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि आखिर राज्य क्यों स्टीक जानकारी मुहैया कराने में आनाकारी कर रहे हैं। दरअसल, वे कानून को लागू ही नहीं करना चाहते।

कानून और विधेयक

भूमि अधिग्रहण कानून पाँच महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका है। ये स्तंभ हैं सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए), लोगों की सहमति, मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन। यह कानून सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए निजी जमीन लेने की सरकारी शक्तियों को सीमित करता है। वहीं अनावश्यक सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण अधिग्रहण भी रोकता है।

कानून पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 70 प्रतिशत लोगों की स्वीकृति अनिवार्य बनाकर लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करता है। प्राइवेट परियोजनाओं के लिए 80 प्रतिशत लोगों की स्वीकृति

जरूरी है। कानून के अनुसार, ग्रामीण भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य का चार गुण होगा, जबकि शहरी भूमि के लिए बाजार मूल्य का दोगुना मुआवजा मिलेगा। रोजगार गंवाने और जमीन देने वाले लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन भी अनिवार्य है।

पृष्ठभूमि

सरकार 1894 के पुराने कानून में किसी भी सरकारी उद्देश्य के लिए ऐंजेंसी क्लॉज का इस्तेमाल कर भूमि अधिग्रहित कर लेती थी। नए कानून में इसे सीमित कर दिया गया है। सरकार अब केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा या संसद द्वारा मान्य अन्य किसी आपात स्थिति में ही अंजेंसी क्लॉज के माध्यम से जमीन ले सकती है।

इन श्रेणियों के तहत ली जाने वाली जमीन के लिए लोगों की स्वीकृति और एसआईए जरूरी नहीं है। अगर पाँचवीं या छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में इस तरह का अधिग्रहण होता है तो ग्रामसभा अथवा स्वायत्त परिषद की स्वीकृति जरूरी है।

नया कानून कई फसलों वाली सिंचित जमीन का अधिग्रहण भी रोकता है। विशेष परिस्थितियों में जमीन लेने पर सरकार को उतनी ही जमीन विकसित करके देनी होगी।

इस तरह कानून सरकार से शक्तियाँ लेकर भूमि मालिकों को सौंपता है। यही बजह है कि राज्यों ने इस कानून के तोड़ के रूप में एक आसान रास्ता खोज लिया है। 1 जनवरी 2014 को इस कानून के लागू होने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने अध्यादशे लाकर इस कानून को कमजोर करने की कोशिश की।

अध्यादेश रक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, वहनीय आवास, औद्योगिक कॉरिडोर और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसके तहत हुए अधिग्रहण में एसआईए, लोगों की सहमति और सिंचित भूमि के प्रावधानों से छूट मिलती है।

अन्य पहलू :

कानून का सबसे विवादित पहलू एक अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया ऐसी स्थिति में निरस्त हो जाएगी जब पाँच साल पहले मुआवजे की घोषणा कर दी गई हो लेकिन न जमीन पर कब्जा किया गया हो और न ही मुआवजा मिला हो। ऐसी स्थिति में जमीन वापस मूल स्वामी को दे दी जाएगी अथवा नए कानून के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी।

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में लैंड

राइट्स इनीशिएटिव की प्रमुख निमिता वाही बताती हैं, “इससे लोग अधिक मुआवजे की मांग को लेकर न्यायालय चले गए।” कानून प्रभावी होने के बाद उच्चतम न्यायालय ने इस अनुच्छेद के तहत ऐतिहासिक निर्णय दिए। अध्यादेश इस अनुच्छेद को कमजोर बनाता है और न्यायालय के आदेश पर रूकी अधिग्रहण की प्रक्रिया के कारण निधरित अवधि में छूट देकर इसे सरकार के अनुकूल बनाता है।

राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश बताते हैं, “अध्यादेश नए कानून को भी 1894 के कानून जैसा बना देगा।” संशोधन विधेयक 24 फरवरी 2015 को संसद में लाकर लोकसभा में पास किया गया था। लेकिन यह राज्यसभा में पास नहीं हो सकता और इसे संयुक्त संसदीय सीमित के पास भेज दिया गया। अब तक सीमित किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकी है।

राज्यों की चाल

केन्द्र सरकार कानून में बदलाव करने में ना काम रही तो राज्य इसमें तब्दीली को आगे आए। संविधान कहता है कि राज्य सरकारें राष्ट्रपति की स्वीकृति से केंद्रीय कानून में संशोधन कर सकती हैं। सीएसई का विश्लेषण बताता है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र झारखंड और आंध्र प्रदेश ने खुद का कानून बनाकर संशोधन लागू कर लिए। इस तरह केंद्रीय कानून को बाईपास का दिया।

हाल ही में आंध्र प्रदेश के कानून में बदलाव किया गया है। कुछ समय पहले तक राज्य केंद्रीय कानून का पालन कर

रहा था। इसके तहत उसने एसआईए और लोगों की सहमति ली, लेकिन 23 जुलाई 2018 को संशोधन कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बंद हो गया। अब रक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, वहनीय आवास, औद्योगिक कॉरिडोर और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए यह जरूरी नहीं है।

यह स्वैच्छिक अधिग्रहण अथवा आपसी बातचीत की व्यवस्था करता है और परामर्श देने में ग्रामसभा की भूमिका को सीमित करता है। आंध्र प्रदेश से करीब एक महीने पहले झारखंड ने भी कानून पारित कर दिया। राज्य का संशोधन विधेयक दो बार राष्ट्रपति को भेजा गया। अब झारखंड में भी स्कूल, अस्पताल, सिंचाई परियोजनाओं और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के आवास हेतु अधिग्रहण के लिए एसआईए जरूरत नहीं है। ग्रामसभा की भूमिका भी परामर्श देने तक सीमित है। तमिलनाडु संशोधन विधेयक कानून को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है।

इसके मुताबिक, तमिलनाडु एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर हरिजन वेलफेयर स्कीम्स एक्ट 1978, तमिलनाडु एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रियल परपज एक्ट 1997 और तमिलनाडु हाइवेज एक्ट 2001 के तहत अधिग्रहित होने वाली भूमि पर केंद्रीय कानून लागू नहीं होगा। राज्य में तीन चौथाई भूमि अधिग्रहण इन तीन कानूनों के माध्यम से ही किया गया है। महाराष्ट्र ने भी अपने चार कानूनों को केंद्रीय कानून के दायरे से बाहर कर दिया है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भी गुजरात एमेंडमेंट एक्ट 2016 के माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों के हितों के लिए काम कर रहे गुजरात खेड़त समाज के अध्यक्ष जयेश पटेल कहते हैं, “यह परियोजना गुजरात के 192 गाँवों को प्रभावित करेगी। उपजाऊ और सिंचित कृषि भूमि परियोजना के लिए ली जा रही है। इसके लिए न ग्रामसभा से स्वीकृति ली गई है और न एसआईए किया गया है।



देश के विकास के लिए इनोवेशन जरूरी

संदर्भ :

पिछले दिनों विश्व बैंक के इंडिया हेड जुनैद कमाल अहमद ने कहा था कि भारत अगले 5 साल में सिलिकन वैली की सफलता को दोहरा सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत में सिलिकन वैली की तरह इनोवेट करने की क्षमताएँ हैं, लेकिन इसके लिए देश में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की जरूरत है।

देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों और जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों के बीच जुड़ाव का एक माध्यम बनाने पर भी काम होना चाहिए। शैक्षणिक समुदाय को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि किस तरह आम लोगों के सृजनशील मस्तिष्क बिना किसी बाहरी मदद के ही अपने आस-पास की समस्याओं को हल कर लेते हैं। ऐसे में यदि उन्हें स्थापित संस्थानों से सहयोग मिल जाए तो वे और अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

भारत को नवप्रवर्तनशील राष्ट्र बनाने के साथ इसके विशिष्ट पारम्परिक ज्ञान के आधार को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अब भारत के हुनरमन्द युवाओं की शक्ति, बच्चों के अन्दर छुपी हुई प्रतिभा और उनकी रचनात्मकता को साकार करने के लिए बड़े

स्तर पर प्रयास किये जाने की जरूरत है।

अब बचपन से ही बयस्क होते युवाओं के विचार या उनके इनोवेटिव आइडिया को विकसित करने और उसे प्रोत्सहित करने के लिए भारत सरकार ने देश के सभी स्कूलों में विभिन्न योजनाओं की शुरूआत कर दी है जिसके तहत युवाओं के विचारों को इनोवेशन में तब्दील किया जाएगा।

इन सभी योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को नवप्रवर्तन के लिए प्रोत्सहित करना है जिससे इन युवाओं की सोच और प्रतिभा का देश के विकास में उपयोग किया जा सके इन्हीं में से एक है अटल टिंकिंग योजना जो वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी ध्यान दे रही हैं। केंद्र सरकार के स्किल इंडिया प्रोग्राम से इन योजनाओं को गति मिली है।

नवाचार हेतु अटल इनोवेशन मिशन

नवप्रवर्तन और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 से अटल इनोवेशन मिशन की शुरूआत की गई थी। देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन को

शुरू किया है।

नीति आयोग के इनोवेशन मिशन के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए देश भर के स्कूलों में अटल टिंकिंग लैब की शुरूआत की है। चुने गये स्कूलों के विद्यार्थियों को हाईटेक लैब का फायदा मिलेगा। इसमें केंद्रीय स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ ही कुछ एक निजी स्कूलों का भी चयन किया गया है।

क्या है अटल टिंकिंग योजना

माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में हाईटेक लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। देश भर में नीति आयोग के इनोवेशन मिशन के तहत 5 हजार स्कूलों में आधुनिक लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हाईटेक लैब को बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 12 से 20 लाख तक का बजट दिया जाएगा।

अटल टिंकिंग लैब से राजकीय और निजी सभी स्कूलों को फायदा होगा। पहले चरण में चुने गए कुछ स्कूलों में लैब बनाए जाने का काम भी शुरू भी हो चुका है। दूसरे चरण में चुने गए स्कूलों को भी इसका लाभ जल्द मिलेगा।

टिंकिंग लैब से फायदा

इस योजना के माध्यम से स्कूलों में वैज्ञानिक सोच के युवाओं को तैयार करके उन्हें देश के विकास में सहयोगी बनाना है। अटल टिंकिंग लैब की स्थापना का उद्देश्य युवाओं को ऐसा कौशल प्रदान करना और उन्हें उस प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करना है, जो उन्हें समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है। इस लैब के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को नए आइडिया सोचने और उन पर काम करने का माहौल मिलेगा। इसमें स्टूडेंट्स, 3 डी प्रिंटर्स, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट टूल के साथ काम कर सकेंगे और विज्ञान की नई तकनीक की



जानकारी कर सकेंगे। इसके साथ ही सेंसर पर काम करने वाला आधुनिक सिस्टम के बारे में भी स्टूडेंट्स नया सीखेंगे।

नीति आयोग ने चुने देश के बेस्ट 30 इनोवेशन

देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है और अटल इनोवेशन मिशन उनके सपने को हकीकत में बदल रहा है। देश के भीतर नये इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति आयोग ने 30 उत्कृष्ट इनोवेटर्स को चुना। इन सभी छात्रों ने अटल टिंकरिंग लैब मैराथन में हिस्सा लिया था। इस मौके पर इनोवेशंस से जुड़ी एक बुकलेट भी लॉन्च की गई।

यह प्रतियोगिता करीब छह माह तक चली और इसमें कुल 650 प्रतिभातियों ने हिस्सा लिया। 650 में से 100 प्रतिभागियों को प्रोटोटाइप फशनैलिटी प्रक्रिया के तहत छांटा गया। इन 100 प्रतिभागियों को सुधार के लिए एक महीने का समय देने के बाद काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा में 30 आविष्कार चयनित किए गए। इन्हें तीन महीने के लिए अटल टिंकरिंग लैब के लिए भी चुना गया है। इस प्रोग्राम की साझेदारी इंडस्ट्री और स्टार्टअप इन्सुलेटर से किए जाने की योजना है। ताकि देश के भीतर नये आविष्कारकों को प्रोत्साहन मिल सके।

ये इनोवेशंस क्लीन एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, बेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थकेयर, स्मार्ट मोबिलिटी और एग्री-टैक की थीम पर आधारित थे जिनमें प्रतिभागियों ने अपने हुनर दिखाए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने 20 राज्यों के 30 सर्वश्रेष्ठ इनोवेटर को उनके प्रयास के लिए सम्मानित भी किया।

भारत में 5000 नए स्टार्ट-अप

नवाचार कोई नया कार्य करना ही मात्र नहीं है, वरन् किसी भी कार्य को नये तरीके से करना भी नवाचार है। भारत में अभी तक कई स्टार्ट-अप आ चुके हैं, जिसमें कई बंद हुए हैं तो कई ऐसे भी हैं जिनमें आज करोड़ों का टर्नओवर हो रहा

है। अब स्टार्टअप की शुरुआत करने की सोच कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द ही भारत में कई स्टार्टअप आने वाले हैं।

अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक आर रामानन का कहना है कि भारत में इस साल के अंत तक करीब 5000 स्टार्ट अप आने वाले हैं। उन्होंने गुजरात इनोवेशन सोसाएटी के एक प्रोग्राम में कहा कि हम वर्ल्ड क्लास इनक्यूबर्ट्स स्थापित कर रहे हैं।

क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक ऐसा प्लेटफार्म है, जो दुनिया भर के देशों को उनकी आर्थिक क्षमताओं, ग्रोथ प्रोडक्टिविटी, जीडीपी, विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करता है। इसे कॉर्नेल यूनीवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल, वर्ल्ड इंटलैक्यूअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे संस्थान मिलकर प्रकाशित करते हैं। इसमें सभी देशों के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और दोनों तरह के डाटा शामिल होते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत इस साल 57 वें स्थान पर रहा।

मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सुरभि श्रीवास्तव और पेसिल्वानिया स्टेट यूनीवर्सिटी की भारतीय मूल की अमेरिकी श्रद्धा सांगेलकर दुनिया भर के लाखों दृष्टिहीनों और दृष्टि-बाधित लोगों को डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले को अधिक सस्ता और सुगम बनाने वाली प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल इन्फॉर्मेशन एक्सेस प्रदान कर रही हैं। इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु, की नेहा सतह एक नए हाई-बैंडविथ वायरलेस सॉल्यूशन का विकास कर रही है।

गुजरात में एक की शुरुआत भी हो चुकी है उन्होंने बताया कि साल के अंत तक 50 इस तरह के संस्थान खोले जाएंगे। साथ ही स्टार्टअप शुरू करने में आईआईटी दिल्ली मदद करेगा।

एक इनक्यूबर्ट्स से हर दो साल में 20-0 स्टार्ट-अप खोले जाते हैं। अटल

इनोवेशन मिशन की बजह से रोजगार पैदा करने के संदर्भ में कई कार्य किए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत कई ऐसे स्कूल भी खोले गए हैं, जहाँ कक्षा 6 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को स्किल और आइडिया डेवलप करना सिखाया जाएगा।

‘इंडिया इनोवेशन इंडेक्स’ का नया फँक्सूला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैंकिंग के आधार काम करने के हिमायी रहे हैं। केंद्रीय सरकार का मंत्र है कि जब सभी राज्य आगे बढ़ेंगे तभी पूरे देश का विकास होगा। राज्यों के विकास में की इस तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की वेबसाइट शुरू की है। यह केंद्र सरकार की नई पहल जिससे अब सभी राज्यों को वहाँ होने वाले इनोवेशंस के हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी।

यह अपनी तरह की पहली वेबसाइट होगी, जहाँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के सूचनाओं और भारत केंद्रित विभिन्न राज्यों के आंकड़ों के साथ-साथ रखा जाएगा।

नवाचार में भारतीय

भारत वर्ष 2018 के वैश्वक नवाचार सूचकांक में 57 वें स्थान पर हैं जो एक साल पहले की तुलना में तीन पायदान का सुधार है। वर्ष 2015 में 81 वीं रैंकिंग से तुलना करें तो भारत ने नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। त्रिनिदाद एंड टोबैगोए बोस्निया हर्जेगोविना और मोरक्को जैसे देश भी उस समय 140 से अधिक देशों की रैंकिंग में भारत से ऊपर थे।


भारत में नवाचार के प्रयासों का अंदाजा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए दाखिल आवेदनों से भी लगाया जा सकता है। जेनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के आंकड़ों के मुताबिक भारत की तरफ से दायर पेटेंट आवेदनों की संख्या 8.3 फीसदी बढ़कर 1,529 हो गई जबकि एक साल पहले यह 1,423 रही थी। अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध पर पर्याप्त

प्रारम्भिक परीक्षा विशेष :- 2019

सौर फोटोवॉल्टिक विद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 12000 मेगावॉट की ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवॉल्टिक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) परियोजना चरण-2 के कार्यान्वयन के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- इन परियोजनाओं की स्थापना स्व-उपयोग अथवा सरकार के उपयोग या केंद्र और राज्य सरकारों की इकाइयों के उपयोग हेतु सरकारी निर्माताओं द्वारा 8,580 करोड़ रुपये की कम पड़ती धनराशि के प्रबंध (वीजीएफ) के साथ की जाएगी।
- 12000 मेगावॉट या उससे अधिक क्षमता वाली ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना सरकारी निर्माताओं द्वारा 4 वर्ष की अवधि अर्थात् 2019-20 से 2022-23 में सरकारी निर्माता योजना में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप की जाएगी।

परियोजना से लाभ :

- यह योजना सौर फोटोवॉल्टिक (एसपीवी) सेल और मॉड्यूल्स दोनों के उपयोग के लिए अधिदेशित है और इसका निर्माण घरेलू स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और परीक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन के साथ, 12000 मेगावॉट या उससे अधिक क्षमता वाली ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवॉल्टिक विद्युत

परियोजनाओं की स्थापना सरकारी निर्माताओं द्वारा 4 वर्ष की अवधि अर्थात् 2019-20 से 2022-23 में की जाएगी, इस प्रकार लगभग 48000 करोड़ रुपये की राशि का निवेश सृजित होगा।

- यह योजना सरकारी निर्माताओं को सौर सेल और मॉड्यूल्स घरेलू विनिर्माताओं से खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के जरिये 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगी।
- यह योजना अगले 3 से 4 वर्षों के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित सौर पीवी सेल और मॉड्यूल्स के लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न करेगी।
- 12000 मेगावॉट क्षमता वाली सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव से लगभग 60,000 लोगों को प्री-कमीशनिंग गतिविधियों/ निर्माण के चरण के दौरान एक साल की अवधि के लिए तथा लगभग 18,000 व्यक्तियों को लगभग 25 वर्षों की परिचालन और अनुरक्षण अवधि के लिए सीधे रोजगार मिलेगा।
- इसके अलावा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना तथा घरेलू स्तर पर सेल और मॉड्यूल्स के निर्माण कार्य में स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के 1,20,000 अतिरिक्त अवसरों का भी सृजन होगा।

बीपीआरएंडडी का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्लूरे (बीपीआरएंडडी) का 7 फरवरी से नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस मिशन के सूक्ष्म अभियानों पर आधारित दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
- दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में जमीनी स्तर पर कौशल और दक्षता के मुद्दों, पुलिस विभाग में नजरिये के बदलाव, महिला-पुरुष आधारित संवेदनशीलता, प्रौद्योगिकी का दोहन और समुदाय आधारित पुलिस नीति के बारे में विचार-विमर्श किया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री एन. एन. बोहरा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
- राष्ट्रीय पुलिस मिशन (एनपीएम) ने अब तक 35 परियोजनाएं विकसित की हैं।

- उनमें से कुछ प्रमुख हैं - पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, पुलिस-समुदाय आधारित नीति, छात्र पुलिस कौडेट कार्यक्रम, बी-ट्रैक, डायल 100, साइबरडोम, मुकदमा-पूर्व परामर्श फोरम और कारागारों तथा कैदियों के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन, आदि।
- एनपीएम के अधिवेश तक पहुंचने के उद्देश्य से बीपीआरएंडडी के तहत 8 सूक्ष्म मिशन कार्यरत हैं।
- बीपीआरएंडडी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुलिस मिशन पर आधारित सम्मेलन आयोजित करता है।

प्रधानमंत्री किसान योजना : हर किसान को नहीं मिलेगा धन

मुद्दा क्या है?

- जिन किसानों के परिवार में एक या एक से ज्यादा सदस्य स्थानीय निकाय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों सहित राज्य या केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों में नौकरी करते हैं, वे केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
- इसके साथ ही जिन परिवारों के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन 10,000 रुपये महीने या इससे ज्यादा है, वे भी इस लाभ से बाहर होंगे।



- अगर किसान परिवार के एक या एक से ज्यादा सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर, बकील, सीए या आर्किटेक्ट हैं, उन किसानों को भी पीएम-किसान के तहत आमदनी समर्थन नहीं मिलेगा।
- सरकार ने इस योजना को लेकर राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें छोटे और सीमांत किसान परिवार की परिभाषा दी गई है।
- इसके मुताबिक एक परिवार, जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, और भूमि रिकॉर्ड के मुताबिक संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जिनकी खुद की कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर तक है।
- दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर किसान परिवार के एक या एक से ज्यादा सदस्यों ने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, जो भी 6,000 रुपये सालाना आय समर्थन योजना से बाहर होंगे।

- इसके अलावा अगर किसान परिवार में मौजूदा या भूतपूर्व सांसद, विधायक या जिला पंचायत के चेयरमैन हैं तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- बहरहाल दिशानिर्देशों के मुताबिक कुछ श्रेणी के पेशनधारकों व सरकारी नौकरी करने वालों को (मल्टी टास्किंग स्टाफ या समूह घ) को इस श्रेणी से बाहर नहीं किया गया है।
- दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को भी अनुमति होगी कि वे लाभार्थियों को इस योजना से बाहर करने वाले मानक बना सकते हैं, लेकिन अगर घोषणा गलत होती है तो आय समर्थन के लिए हस्तांतरित पूरी राशि की वसूली और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- मंदिरों या अन्य संस्थाओं की मालिकाना वाली जमीन इस योजना में शामिल नहीं होगी।
- दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर किसान के बच्चे इस योजना से बाहर किए जाने के लिए तय दायरे में आते हैं तो उन्हें इस लाभ के योग्य नहीं माना जाएगा।

पीएम-किसान योजना के बारे में

- इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने सालाना 6,000 रुपये आय समर्थन हस्तांतरित करने की योजना बनाई है, जिसकी पहली किस्त 31 मार्च 2019 के पहले दिए जाने की उम्मीद है।
- 2019-20 के अंतरिम बजट के मुताबिक इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये के करीब इस वित्त वर्ष में खर्च किए जाएंगे।

योजना से लाभ

- दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर कृषि योग्य भूमि किसी बजह से 1 दिसंबर 2018 और 31 जनवरी 2019 के बीच किसी को स्थानांतरित की गई है, चाहे वह खरीद, वसीयत, उपहार या किसी अन्य रूप में हो, उसे इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा।
- लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 की पहली किस्त 31 मार्च 2019 तक के समय 4 महीने में से जितने दिन संबंधित व्यक्ति के अधिकार में जमीन रही होगी, उतने दिन तक के लिए ही लाभ मिलेगा।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा और यूएनडीपी के लघु अनुदान कार्यक्रम पर कार्यशाला

चर्चा में क्यों?

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा और यूएनडीपी के लघु अनुदान कार्यक्रम-एसजीपी पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

- मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यशाला का 7 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजन सम्पन्न हुआ।
- यूएनडीपी के विशेष अनुदान कार्यक्रम के तहत भारत के विभिन्न हिस्सों से गैर-सरकारी संगठनों ने काफी योगदान दिया है।

यूएनडीपी और भारत
<ul style="list-style-type: none"> यूएनडीपी 1997 से ही भारत में लघु अनुदान कार्यक्रमों को वित्तीय मदद देने के साथ ही वैश्विक पर्यावरण सुविधा लागू करने के लिए पर्यावरण, बन और जलवायु मंत्रालय को सहायता देता रहा है। लघु अनुदान कार्यक्रम के तहत लागू की जाने वाली परियोजनाओं को राष्ट्रीय होस्ट इस्टीट्यूशन और अन्य गैर-सरकारी संगठनों की मदद से लागू किया जा रहा है। पर्यावरण का क्षण परिस्थितिकी तंत्र को नुकसान और उस पर निर्भर रहने वाली प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाऊस गैसों की बढ़ती मात्रा, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में बढ़ता प्रदूषण, भू-क्षण और अँगैनिक प्रदूषक तत्व पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले गरीब लोगों को पर्यावरण के नुकसान से सबसे ज्यादा खतरा है। भारत में लघु अनुदान कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से ऐसे गरीब लोगों की मदद के लिए पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर विशेष जार दिया गया है। एसजीपी इंडिया की ओर से सामुदायिक आधार पर 112 परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिससे 400,000 से अधिक लोग लाभांति हुए हैं। एसजीपी ने स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र को बेहतर और ज्यादा उत्पादक बनाने के लिए बेहतर तौर-तरीकों को लागू किया है। इसके सामाजिक, अर्थिक और राजनीतिक फायदे भी हुए हैं।

कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां

- जैविक खेती और गैर लकड़ी उत्पाद बनाने के सामुदायिक उद्यमों के जरिए पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा शुष्क और अर्ध शुष्क 1,10,000 हेक्टेयर भूमि को टिकाऊ भूमि और संसाधन प्रबंधन के तहत लाना।
- खेती के बेहतर तौर-तरीकों का प्रचार और बेहतर भूमि और जल प्रबंधन के जरिए सीमांत किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास।

- सौर चूल्हे, कम ईंधन खपत वाले स्टोप, प्लास्टिक कचरे की री-साइक्लिंग और ऐसे ही अन्य उपायों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी।
- कार्यशाला में तीन सत्र होंगे, जिनमें पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।
- इसमें जीईएफ और एसजीपी की ओर से दो से तीन प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी।
- इस दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समूहों के बीच परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी।
- कार्यशाला में 120 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें आम नागरिकों और कॉलेज के छात्रों को भी आमंत्रित किया गया है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान

चर्चा में क्यों?

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 फरवरी से अपने राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान का 8वां चरण आरंभ किया।
- इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी के संक्रमण से होने वाले एसटीएच रोग अर्थात् आंतों में परजीवी कृमि को खत्म करना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले 64 फीसदी आबादी को कृमि संक्रमण का खतरा है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- कृमि मुक्त अभियान 2015 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के 8वें चरण में 30 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में एक से 19 आयु वर्ग के 24.44 करोड़ बच्चों और किशोरों को लक्षित किया गया है।
- यह अभियान महिला और बाल विकास तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाया गया है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूली शिक्षकों ने आज आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में बच्चों को कृमि से बचाव की दिवाएं दीं। आशा कार्यकर्ता भी सामुदायिक सहयोग से इसमें मदद कर रही हैं।
- प्रत्येक चरण के साथ अभियान की सफलता बढ़ती जा रही है। फरवरी 2015 में जहां 8.9 करोड़ कृमि की दवा दी गई, वहीं अगस्त 2018 में यह संख्या बढ़कर 22.69 करोड़ हो चुकी है।

लाभ :

- कृमि मुक्त अभियान कम लागत वाला एक ऐसा अभियान है, जिसके तहत करोड़ों बच्चों को कृमि से बचाव की सुरक्षित दवा अलबंडेजॉल दी जाती है।

- ➲ इस दवा से बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है, जिससे स्कूल में उनकी अनुपस्थिति कम हुई है तथा उनमें पौष्टक तत्वों को ग्रहण करने और पढ़ाई पर बेहतर ध्यान देने की क्षमता बढ़ी है।
- ➲ अलबंडेजैल की दवा वैश्विक स्तर पर कृमि निरोधक प्रभावी दवा मानी गई है। कृमि मुक्त दिवस वर्ष में दो बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में मनाया जाता है।
- ➲ इस अभियान के तहत आम लोगों को खुले में शौच करने से कृमि संक्रमण के खतरों तथा उनमें साफ-सफाई की आदतों के प्रति जागरूक बनाया जाता है।

‘इंडिया नेटवर्किंग’

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव- 2019 में हिस्सा लेने गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ‘इंडिया नेटवर्किंग’ का आयोजन किया।
- ➲ इसमें भारत के साथ सहयोग करने के इच्छुक फिल्म उत्सव के प्रमुख दिग्गजों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संघों, फिल्म एजेंसियों और प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं ने हिस्सा लिया।
- ➲ इस दौरान फिल्मों के सह-निर्माण और इस वर्ष होने वाले आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए साझेदारी करने के विषयों पर चर्चा की गई।
- ➲ इस आयोजन में शिरकत करने वालों को भारत में फिल्म बनाने की आसानी के बारे में बनाई गई नीतियों की भी जानकारी दी गई।
- ➲ इसके लिए वेब पोर्टल www.fof.gov.in का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके जरिए फिल्म शूटिंग का आवेदन किया जा सकता है।
- ➲ आयोजन के दौरान यह भी बताया किया कि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन के जरिए फिल्म पायरेसी को रोकने के प्रयास भी किए गए हैं।

लाइट हाउस परियोजना

चर्चा में क्यों?

- ➲ केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जीएचटीसी-इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण के लिए पूरे देश में 6 स्थीलों का चयन करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए एक चुनौती की शुरूआत की है।
- ➲ मंत्रालय ने इस चुनौती में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया है।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- ➲ इसके अलावा नई प्रौद्योगिकी के उपयोग और अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने और अन्ये संबंधित कारकों के कारण होने वाले किसी अतिरिक्त लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) का भी प्रावधान किया गया है।
- ➲ लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए चयन किये गए स्थलों का सीधे प्रदर्शन के लिए खुली प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- ➲ इसके अलावा शिक्षाविद (सिविल इंजीनियरिंग, योजना और वास्तुशकला), सार्वजनिक और निजी व्यवसायी, नीति निर्माता (केन्द्रीय और राज्यक) और मीडिया इसके बारे में उचित ध्यान देंगे और इसके अलावा ग्रांड-एक्सपो एवं सम्मेलन में सहायता/मान्यता भी प्राप्त होगी।
- ➲ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहले ही वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-इंडिया (जीएचटीसी इंडिया) की शुरूआत की है।

इस चुनौती के तीन घटक हैं-

- i) ग्रांड एक्सपो एवं सम्मेलन का आयोजन करना
- ii) दुनिया भर से प्रमाणित प्रदर्शन योग्य प्रौद्योगिकियों की पहचान करना
- iii) उष्मायन और तीव्र सहायता के लिए किफायती, स्थायी आवास त्वरितों की स्थापना के माध्यम से संभावित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

- ➲ अंतिम रूप से चयनित वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ढांचे के अंदर लाइट हाउस परियोजनाओं की योजना बनाने और निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- ➲ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा भागीदारी की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2019 है।
- ➲ राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द 20 फरवरी 2019 तक भेज सकते हैं।
- ➲ चयनित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों को जीएचटीसी-ईडिया के तहत अपने राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में इन लाइट हाउस परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन करना होगा।

मिसाइल 'हेलीना' का परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- ➲ भारत ने अपने एक सबसे अत्यधुनिक टैंक रोधी मिसाइल के हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाले प्रारूप 'हेलीना' का ओडिशा तट से परीक्षण किया।
- ➲ यह मिसाइल 7-8 किमी की दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है। 'हेलीना' एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल "नाग" का हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाला प्रारूप है।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ बालासोर जिले में चांदपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के पास से दोपहर 12 बजकर 55 मिनट पर 'हेलीना' का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेदा।
- ➲ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इसे विकसित किया है और यह दुनिया के सर्वाधिक अत्यधुनिक एंटी टैंक हथियारों में एक है।
- ➲ यह मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर (आईआईआर) से दिशा-निर्देशित होती है।
- ➲ गौरतलब है कि 13 जुलाई 2015 को राजस्थान के जैसलमेर स्थित एक फायरिंग रेंज से हेलीना के तीन दौर का परीक्षण

किया गया था।

- ➲ साथ ही, पछले साल 19 अगस्त को पोखरण टेस्ट रेंज से रुद्र हेलीकॉप्टर के जरिए भी इसका सफल परीक्षण किया गया था।

वस्त्र क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उचित सामंजस्य, सुनिश्चित करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

चर्चा में क्यों?

- ➲ वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आये 12 बुनकरों और शिल्पकारों को 13 फरवरी को नई दिल्लीश में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया।
- ➲ वस्त्र क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी भी इस अवसर पर आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ वस्त्र एवं हस्तशिल्प वस्तुओं के विदेश व्यापार में सहूलियत के लिए 15 सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। वस्त्र मंत्रालय के पहुंच (आउटरीच) एवं सहायता कार्यक्रम पर एक लघु फ़िल्म भी राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिखाई गई।
- ➲ यह राष्ट्रीय सम्मेलन 'वस्त्र क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उचित सामंजस्य सुनिश्चित करने' पर आयोजित किया गया।
- ➲ प्रधानमंत्री ने 2 नवम्बर, 2018 को एमएसएमई के लिए 100 दिवसीय सहायता एवं पहुंच कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।
- ➲ इस दौरान देश भर के विभिन्न सेक्टरों में 100 जिलों की पहचान की गई। इनमें से 39 जिलों की पहचान वस्त्रे क्षेत्र के लिए की गई।
- ➲ इनमें से 12 जिलों की पहचान हथकरघा के लिए, 19 जिलों की पहचान हस्तक्षिल्प के लिए और 8 जिलों की पहचान विद्युत करघा (पावरलूम) के लिए की गई।
- ➲ उपर्युक्त कार्यक्रम के तहत वस्त्रक क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उचित सामंजस्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चिह्नित जिलों में विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई।
- ➲ स्थानीय बैंक के सहयोग से मुद्रा ऋण के लिए शिविर आयोजित करना, 'ई-धागा' पर लाभार्थियों का नामांकन करना, लाभार्थियों को विभिन्न उपयोगी उपकरण (टूल किट) वितरित करना, शिल्पनकारों एवं बुनकरों का पंजीकरण और उन्हें 'पहचान कार्डों' का वितरण करना इत्यदि इन गतिविधियों में शामिल हैं।

पेट्रोटेक-2019

चर्चा में क्यों?

- ➲ 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी पेट्रोटेक-2019 का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में 10 से 12 फरवरी, 2019 को किया जाएगा।
- ➲ भारत के तेल और गैस क्षेत्र में हाल ही में हुई बाजार और निवेश के अनुकूल घटनाओं को इस विशाल तीन दिवसीय आयोजन के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा।



महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ इस सम्मेलन के दौरान लगभग 70 देशों के 86 से ज्यादा प्रमुख वक्ताओं और 7000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है, जिनमें प्रौद्योगिकीविद्, वैज्ञानिक, योजनाकार, नीति निर्माता, प्रबंधन विशेषज्ञ, उद्यमी, सेवा प्रदाता और वेंडर्स शामिल होंगे।
- ➲ इस सम्मेलन के साथ-साथ इस दौरान इंडिया एक्स्पोग मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।
- ➲ पेट्रोटेक-2019 प्रदर्शनी में उत्खनन और उत्पादन, प्रक्रिया नियंत्रण, रिफाइनिंग और पाइपलाइन सेवाओं, प्रणालियों, उत्पादों, ऑयल फोल्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विश्लेषणात्मक उपकरण, नवीकरणीय, अनुसंधान एवं विकास, एचएसई, प्रशिक्षण और तकनीकी साहित्यक के प्रकाशन के क्षेत्र में हुए विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
- ➲ यह प्रदर्शनी 10 और 11 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और 12 फरवरी, 2019 को अपराह्न दो बजे तक आगंतुकों के लिए खुली रहेगी।
- ➲ पेट्रोटेक-2019 प्रदर्शनी में 13 से ज्यादा देशों के मंडप होंगे और 40 से ज्यादा देशों के 750 प्रदर्शक भाग लेंगे।
- ➲ इसमें मेक इन इंडिया और नवीकरणीय ऊर्जा थीम के लिए विशिष्ट स्थान होंगे। पेट्रोटेक के दौरान अनेक स्टार्ट-अप

कंपनियां भी अपनी प्रौद्योगिकी और विकास का प्रदर्शन करेंगी।

तीसरा भारत-जर्मन पर्यावरण सम्मेलन

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ तीसरा भारत-जर्मन पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 'स्वच्छ वायु, हरित अर्थव्यवस्था' इसका मूल विषय है।
- ➲ जर्मन बिजेनेस की एशिया-प्रशांत समिति और फिक्की के सहयोग से दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मंत्रालयों, कारोबार एवं विज्ञान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दर्ज की।
- ➲ इस अवसर पर भारत और जर्मनी के बीच स्वच्छ वायु और वस्त्र क्षेत्र के लिए संबंध की तैयारी के बारे में दो संयुक्त आशय घोषणापत्र का भी आदान-प्रदान किया गया।
- ➲ एक दिन के इस कार्यक्रम में सामूहिक विचार-विमर्श और समानान्तर अधिवेशनों के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण, कच्चा प्रबंधन की चुनौतियों, समाधानों और आवश्यक कार्यक्रमों के साथ-साथ क्रमशः पेरिस समझौते तथा संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 पर आधारित एनडीसी और एसडीजी के कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा।

अल्जीरिया राष्ट्रपति की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों?

- ➲ अल्जीरिया गणराज्य के विदेश मंत्री श्री अब्दुल कादिर मसाहिल ने 31 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
- ➲ भारत और अल्जीरिया के बीच पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं।
- ➲ दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्चस्तरीय यात्राएं होती हैं।


महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ➲ भारत और अल्जीरिया अंतरिक्ष, रक्षा और असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपस में सहयोग कर रहे हैं।
- ➲ अरब जगत के कई देशों ने भारत में रिफाइनरी, पाइपलाइन और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश किया है।
- ➲ अल्जीरिया गैस का छठा सबसे बड़ा नियातक है और पेट्रोलियम उत्पादों का 13वां सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए अल्जीरिया को भी विशेष रूप से तेल भंडार, रिफाइनरी और एलएनजी टर्मिनलों में इसी तरह का निवेश करने पर विचार करना चाहिए।

विश्व कैंसर दिवस

चर्चा में क्यों

- ⇒ सरकारी और गैर-सरकारी स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, डबल्यूएचओ के द्वारा सभी प्रयासों को याद करने के लिये पूरे विश्व में 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।
- ⇒ इसे कुछ नवी रणनीतियों की योजना के साथ ही कुछ नये कार्यक्रमों को लागू करने के लिये मनाया जाता है जो इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने में मदद करता है।
- ⇒ ये कार्यक्रम वार्षिक आधार पर कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल केन्द्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण (यूआईसीसी) और दूसरे प्रमुख स्वास्थ्य संगठन की देखरेख में आयोजित किया जाता है।
- ⇒ हर वर्ष कैंसर के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गवानी पड़ती है और इसका मुख्य कारण तम्बाकू सेवन होता है।



- ⇒ इसी विषय को देखते हुए पटना एम्स में 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
- ⇒ इसके अंतर्गत लोगों को कैंसर की बीमारी के लक्षण और इसके रोकथाम के विषय में भी जानकारी प्रदान की गयी।

विश्व कैंसर दिवस का इतिहास

- यूआईसीसी (केन्द्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण) के नियंत्रण में और विभिन्न दूसरे प्रसिद्ध कैंसर समाजों, शोध संस्थानों, उपचार केन्द्रों और मरीजों के समूह की सहायता के साथ 1933 में स्वीट्जरलैण्ड के जेनेवा में विश्व कैंसर दिवस को मनाने की योजना की शुरुआत हुई थी।
- इस घातक बीमारी को नियन्त्रित करने और लड़ने के लिये सभी जरूरतों को पूरा करने के लिये विश्व कैंसर दिवस के कार्यक्रम स्थापना हुई थी।
- एक रिपोर्ट के अनुसार 12.7 मिलियन से अधिक लोगों की कैंसर की पहचान की गयी साथ ही हर वर्ष 7 मिलियन लोग इस बीमारी से जान गवाते हैं।
- इस संक्रामक बीमारी के खतरे से बचाने और इसके एहतियातन कदम का अनुसरण करने, लोगों को इसके लक्षणों की जाँच करने के लिये निर्देश देना साथ ही साथ कैंसर से लाखों जीवन बचाने के लिये इस दिन के वार्षिक उत्सव को मनाने की योजना की शुरुआत की गयी।
- 4 फरवरी की स्थापना खासतौर से सही खान-पान के बारे में उन्हें सिखाने, नियमित और उचित शारीरिक क्रियाकलाप के लिये और एक सीख कि कैसे कैंसरकारी तत्व या परिस्थिति से बचाव किया जाए आदि कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिये की गयी है।

महत्वपूर्ण रिपोर्ट :

- ⇒ लोगों के बीच इस कार्यक्रम को और परिणाम केन्द्रित बनाने के लिये एक खास थीम के इस्तेमाल के द्वारा हर वर्ष इसे मनाया जाता है।
- ⇒ एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार के कैंसर और मृत्यु दर के लिहाज से कलेजे के कैंसर/6,10,000, फेफड़ा के कैंसर/1.3 मिलियन, कोलोरेक्टल के कैंसर/6,39,000, पेट का कैंसर/8,03,000, स्तन कैंसर/5,19,000 आदि के लोग (मध्यम और निम्न आय) शामिल हैं।

- ⇒ उत्सव को मनाने के दौरान, कैंसर होने के कारण के खतरों के बारे उनको बताने के लिये लोगों को लक्षित किया जाता है जैसे तंबाकू का इस्तेमाल, अत्यधिक वजन, कम सब्जी और फल खाना, कम या बिल्कुल भी शारीरिक क्रियाएँ नहीं करना, शराब का इस्तेमाल, एचपीवी संक्रमण, शहरी क्षेत्रों के वायु प्रदूषण, घर के अंदर धुम्रपान, अनुवाशिक खतरा, अत्यधिक धूप में रहना आदि।
- ⇒ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और हेपेटाइटिस बी के अलावा टीकाकरण के तरीकों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है।